लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Parliament Library
24-8-90
30-7-85

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

विषय सूची/CONTENT

अंक 31—शनिवार, 22 दिसम्बर, 1973/1 पौष, 1895 (शक)

No. 31—*Saturday, December* 22, 1973/*Pausa* 1, 1895 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
दक्षिण कोरिया के संसदीय शिष्ट-मंडल का स्वागत	Welcome to South Korean Parliamentary Delegation	1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1-5
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	5
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	5
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
41वां और 44वां प्रतिवेदन	Forty First and Forty Fourth Reports	5-6
लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	Re. Strike by Loco Running Staff	6
पश्चिम बंगाल में खाद्य संकट के बारे में दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 503 dated 17-12-1973 Re. Food Crisis in West Bengal .	6-7
भारतीय खाद्य निगम पर 12 दिसंबर, 1973 को हुई चर्चा के दौरान दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Fulfilment of Assurance given on 12-12-73 during Debate on FCI—	
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	7
वर्ष 1971-73 के दौरान अमरिका तथा साम्यवादी देशों द्वारा आमंत्रित भारतीय पत्रकारों के बारे में दी गई जानकारी के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य—	Statement by Member Re. Information given about Indian Journalists invited by USA and Communist Countries during 1971-73—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	8
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral . .	8
नियम 377 के अंतर्गत मामले	Matters Under Rule 377 . .	8-11, 17-19 व 20-21
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege—	
संसद सदस्य, श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर को बर्दवान में गिरफ्तार किये जाने के बारे में अध्यक्ष को सूचना न दिया जाना	Non-Intimation to the Speaker of arrest of Shri Krishna Chandra Halder, M.P. at Burdwan	19-20

1—36 L. S. S./73

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
इंडियन एयरलाइंस कार्पोरेशन में तालाबंदी के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Lock out in Indian Airlines Corporation—	
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur .	11-12 व 15-17
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण—	Member sworn—	
(श्रीमती प्रमिलाबाई दाजीसाहिब चव्हाण)	(Shrimati Pramilabai Dajisaheb Chavan) . .	17
दिल्ली में हुई लुफ्थांजा बोइंग विमान दुर्घटना के बारे में जांच न्यायालय की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Appointment of Court of Inquiry on Lufthansa Boeing Crash in Delhi—	
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur .	17
लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill— Introduced	21-23
भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. Working of Food Corporation of India—	
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	23-24
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	24-25
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia	25-26
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	27
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	27-28
श्री पी० गंगादेव	Shri P. Ganga Deb . .	28
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma . .	28
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey	29
श्री मुल्कि राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini . .	29
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	29
श्री फुखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed . .	29-33
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shr Atal Bihari Vajpayee .	33
लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे म वक्तव्य—	Statement Re. Strike by Loco Running Staff—	
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra .	33-36 वं 42-43
भारत सेवक समाज के कार्यों की जांच आयोग द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदन के संबंध म कुछ दस्तावेजों को सभापटल पर रखे जाने के बारे में	Re. Laying on the Table of certain Paper in connection with the Report of the Commission of Inquiry into the Affairs of the Bharat Sewak Samaj .	43-45

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
हरयाणा में बेदखल किये गये हरिजनों के बारे में वक्तव्य —	Statement Re. Evicted Harijans in Haryana —	
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	47
टाइम कैपसूल के साथ भूमि में गाडे गये ऐतिहासिक दस्तावेजों के पाठ के बारे में चर्चा	Discussion Re. Text of the Historical Documents Burried with the Time Capsule .	47-56

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 22 दिसम्बर 1973/1 पौष, 1895 (शक)
Saturday, December 22, 1973/Pausa 1, 1895, (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

दक्षिण कोरिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत
WELCOME TO SOUTH KOREAN PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सर्वप्रथम मैं एक घोषणा करना चाहता हूं ।

मुझे अपनी ओर सभा के माननीय सदस्यों की ओर से दक्षिण कोरिया की नेशनल असैम्बली के अध्यक्ष महामहिम श्री इल क्वां चुंग प्रतिपक्ष के फ्लोर लीडर तथा वहां के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का जो भारत यात्रा पर आये हैं अपने अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है । महामहिम श्री इल क्वां चुंग एक प्रख्यात व्यक्ति हैं । वह 1964 से 1970 तक अपने देश के प्रधान मंत्री रहे हैं । उससे पूर्व वह अपने देश के विदेश मंत्री थे । हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि भारत में इस अल्प वास से उन्हें और उनके शिष्टमंडल को प्रसन्नता होगी और उनकी यह यात्रा सफल होगी । उनके माध्यम से हम अपनी शुभकामनाएं और अभिनन्दन कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति, संसद और जनता को प्रेषित करते हैं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 525 दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 के सम्बन्ध में 21-12-73 को उठाई गई बातों के बारे में विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 525(ड़) और 526(ड़) दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 को सभा पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में 21–12–1973 को सभा में उठाई गई बातों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6123/73**]

2—36 LSS/73

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैंने एक नोटिस दिया था। सभा को कुछ पत्रों के विषय का पता अगले सत्र तक ही चल सकेगा। मेरे विचार से प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगतरूप से सभी पत्रों पर ध्यान नहीं दे सकता और मेरा विचार यह है कि सभी पत्र अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति को भी नहीं जाते हैं। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभा पटल पर रखे गये सभी पत्रों के अध्ययन के लिए एक पृथक समिति नियुक्त की जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौनसा पत्र विधि के अनुसार या लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जैसी संसदीय समितियों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसे नियम समिति के समक्ष रखा जायेगा। आप नियम समिति की बैठक अगले सत्र के प्रारम्भ में चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई के बारे में विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई और उर्वरकों के उत्पादन और आवश्यकता के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6124/73]**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मंत्री महोदय पत्रों का उत्तर न देकर ऐसी स्थिति क्यों पैदा करते हैं कि हमें मामला सभा में उठाना पड़ता है। यह स्थिति बड़ी शोचनीय है। वे सभा से बातों को छिपाना चाहते हैं।

श्री शाहनवाज खां : हम कुछ भी नहीं छिपाते।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It appears from the statement that efforts are being made to affect the elections in Uttar Pradesh.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, U. P. is a big state and it is facing shortage of fertilizers, so it is necessary to rush supplies of fertiliers to U.P. State.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक मकानों के बारे में दिनांक 3 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3163 के उत्तर में शुद्धि

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत पाकेट सी-7 और सी-8 के औद्योमिक मकानों के बारे में श्री झारखण्डे राय के अतारांकित प्रश्न संख्या 3163 के 3 दिसम्बर, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6125/73]**

पांचवी योजना में सहकारी समितियों के कार्य में सुधार के बारे में 10 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4088 के उत्तर में शुद्धि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : मैं पांचवीं योजना में सहकारी समितियों के कार्य में सुधार के बारे में श्री प्रभुदास पटेल के अतारांकित प्रश्न संख्या 4088 के 10 दिसम्बर, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6126/73]**

भारत सेवक समाज के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारत सेवक समाज के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

(दो) प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6127/73]

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : What is the reason ?

Prof. Sher Singh : This report is in five volumes and it contains 13,000 pages.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, several months' time has elapsed since it was received by Government. If ten pages were translated per day since then, the translation of this report would have completed by now. May I know whether the future of Hindi depends upon the number of pages in a particular reports; whether they are running the Government or making fun of it?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामले में मुझे कोई प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी ।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, here I agree with Shri Vajpayee. Hindi should not be ignored like this.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह आयोग 1968 में नियुक्त किया गया था और अब 1974 आने वाला है । सरकार को इसे सत्र के आरम्भ में ही सभा-पटल पर रखना चाहिए था ताकि इसी सत्र में इस पर विचार किया जा सकता ।

काफी अधिनियम 1942 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, आवश्यक वस्तू अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 693 दिनांक 26-2-73 का शुद्धि पत्र

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) काफी अधिनियम 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 513(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा० सां० नि० 514(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय म रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6128/73]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 2474 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें अधिसूचना संख्या सा०आ० 693 दिनांक 26 फरवरी, 1972 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 6129/73]**

श्री सेझियान : श्रीमान्, यह तो उन्हें सभा का सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिन के भीतर ही करना चाहिए था। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री जी० विश्वनाथन : मद संख्या 2 के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह 1-9-1973 को ही प्रकाशित हो गया था और समान्यतः यह 15 दिन के भीतर ही सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए था। अब उन्होंने बिलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य भी सभा-पटल पर नहीं रखा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें विलम्ब के लिए ज्ञापन देना चाहिए था। मैं आशा करता हूं कि वह इसे बाद में सभा-पटल पर रखेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, on a point of order. I want to say that Prof. Sher Singh did not place on the Table the statement giving reasons for delay in placing Hindi Version of the same. Just see, he is now authenticating the same.

Mr. Speaker : That should have been laid sumultaneously.

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं के बारे में दिनांक 3 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1920 के उत्तर में शुद्धि

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं (एक) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के बारे में श्री आर० के० सिन्हा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1920 के 3 अगस्त, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

विवरण

श्री आर० के० सिन्हा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1920 के भाग (ख) का उत्तर जो 3 अगस्त, 1973 को लोक-सभा में दिया गया था उसमें और बातों के साथ-साथ मैंने बताया था कि 1-1-1973 से 30-6-1973 तक की अवधि में देश में 14 राष्ट्रीकृत बैंकों की जितनी शाखाएं खोली गयी वह 293 थी और इन शाखाओं के क्षेत्र की जन संख्या का आबादी की दृष्टि से वर्गीकरण इस प्रकार था :—

ग्रामीण	109
अर्धशहरी	59
शहरी	58
महानगर	67

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसने उक्त सूचना दी थी, अब बताया है कि शाखाओं की सही संख्या 308 है और आबादी की अलग-अलग जनसंख्या इस प्रकार है :–

	1-1-1973 से 30-6-1973 तक 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं की संख्या
ग्रामीण	110
अर्ध-शहरी . . .	64
शहरी	63
महानगर/पत्तन नगर . .	71
	308

इसलिए मैं आज यह वक्तव्य अभिलेख को ठीक करने के लिए दे रही हूं। मुझे पहले के उत्तर में हुई त्रुटि के लिए खेद है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक से ठीक आंकड़े बताने वाली सूचना 19 दिसम्बर, 1973 को प्राप्त हुई।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमान, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देती है :

(एक) कि राज्य सभा अपनी 20 दिसम्बर, 1973 की बैठक में लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 1973 को पास किये गये मुल्की नियम (निरसन) विधेयक, 1973 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

(दो) कि राज्य सभा 20 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 1973 को पास किये गये कोंकण यात्री पोत (अर्जन) विधेयक, 1973 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

(तीन) कि राज्य सभा ने 20 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 1973 को पास किया गया संविधान* (32 वां संशोधन) विधेयक, 1973 बिना किसी संशोधन, के भारत के संविधान के अनुच्छद 368 के उपबंधों के अनुसार में पास किया।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

41वां तथा 44वां प्रतिवेदन

डा० संकटा प्रसाद (मिसरिख) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के पहले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 41 वां प्रतिवेदन

---

*यह विधेयक लोक सभा में संविधान (33 वा सशोधन) विधयक, 1973 के रूप में पुरःस्थापित किया गया था ।

[डा० संकटा प्रसाद]

(2) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, के सम्बन्ध में समिति के 18 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 44 वां प्रतिवेदन ।

लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में

RE : STRIKE BY LOCO RUNNING STAFF

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० एन० मिश्र । वह यहां उपस्थित नहीं है । वह चार बजे श्याम के आस पास आयेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Then you should give us time to have discussion thereon.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री एल० एन० मिश्र के वक्तव्य पर चर्चा के लिए कम से कम एक घंटा मिलना चाहिए, क्योंकि इस मामले पर हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । यदि समय उपलब्ध हुआ तो अवश्य मिलेगा ।

पश्चिम बंगाल में खाद्य संकट के बारे में दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 503 DATED 17-12-73 RE- FOOD CRISIS IN WEST BENGAL

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं पश्चिम बंगाल में खाद्य संकट में श्री ज्योतिर्मय बसु के तारांकित प्रश्न संख्या 503 के 17 दिसम्बर, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 को तारांकित प्रश्न संख्या 503 पर श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने पश्चिमी बंगाल को जुलाई से अक्तूबर, 1973 की अवधि के लिए गेहूं की वास्तविक सप्लाई के निम्नलिखित आंकड़े दिए थे :—

मास	सप्लाई (मीटरी टन में)
जुलाई 1973	131,000
अगस्त 1973	148,000
सितम्बर 1973	150,000
अक्तूबर 1973	122,000

उपर्युक्त दी गई स्थिति जून से सितम्बर, 1973 की अवधि की वास्तविक सप्लाई से सम्बन्धित है। क्योंकि उत्तर जुलाई से अक्तूबर की अवधि के संदर्भ में है अत: उन मासों के स्थान पर निम्नलिखित आंकड़े प्रतिस्थापित करते हैं :—

महीना	सप्लाई (मीटरी टन में)
जुलाई, 1973	148,000
अगस्त, 1973	150,500
सितम्बर, 1973	122,800
अक्तूबर, 1973	115,100

यह शुद्ध पत्र पहले दिए गए आंकड़ों को ठीक करने के लिए है।

भारतीय खाद्य निगम पर 12 दिसम्बर, 1973 को हुई चर्चा के दौरान दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : FULFILMENT OF ASSURANCE GIVEN ON 12-12-73 DURING DEBATE ON F.C.I

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): मैं भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर 12 दिसम्बर, 1973 को हुई चर्चा के दौरान दिये गये आश्वासन की पूर्ति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

लोक सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4018 के उत्तर में यह आश्वासन दिया गया था कि भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी। बाद में लोक सभा में 12–12–1973 को भारतीय खाद्य निगम के कार्य-चालन पर अनियत दिन वाले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान फिर आश्वासन दिया गया था कि अतारांकित प्रश्न के बारे में सूचना अधिवेशन के अन्त से पूर्व दी जाएगी। तदनुसार एक अनुबन्ध सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें सूचना दी गई है।

अनुबन्ध

(क) भारतीय खाद्य निगम के लगभग 50,522 कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर औसत मासिक खर्च 31 मार्च, 1973 को लगभग 1.90 करोड़ रुपये बनता था।

(ख) पिछले छ: महीनों के दौरान विभिन्न आरोपों जैसे कि रिश्वत लेना, गबन तथा दुर्विनियोजन, चिकित्सा तथा यात्रा भत्ता के झूठे बिल प्रस्तुत करना, सरकारी रिकार्ड में हेर-फेर करना और अन्य कदाचारों लिए 152 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही इस प्रकार है :— नौकरी से निकालना, मुअत्तिल करना, विभागीय कार्यवाही और श्रेणी 1 के 10, श्रेणी 2 के 6; श्रेणी 3 के 83 और श्रेणी 4 के 53 कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही के लिए पुलिस तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मामले सौंपना।

वर्ष 1971-73 के दौरान अमरीका तथा साम्यवादी देशों द्वारा आमंत्रित भारतीय पत्रकारों के बारे में दी गई जानकारी के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE : INFORMATION GIVEN ABOUT INDIAN JOURNALISTS INVITED BY USA AND COMMUNIST COUNTRIES DURING 1971-73

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : 12 दिसम्बर, 1973 को अतारांकित प्रश्न सं० 4495 के उत्तर में मंत्री महोदय ने वर्ष 1971–73 की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका और कम्युनिस्ट देशों द्वारा आमंत्रित किये गये भारतीय पत्रकारों की एक सूची प्रस्तुत की थी। उस सूची में यह दिखाया गया था कि यु० एन० आई० के श्री एस० एल० ढींगरा को बुल्गारिया आमंत्रित किया गया और उन्होंने उस देश की यात्रा की।

जांच करने पर यह पता चला है कि वह वक्तव्य गलत है। सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताये कि उत्तर में गलती होने का क्या कारण है?

इस सत्र में मैं इस प्रकार के मामले चार बार उठा चुका हूँ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : 12 दिसम्बर, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4495 के भाग (ग) के उत्तर में लोक सभा की मेज पर एक विवरण रखा गया था जिसमें 1971–73 की अवधि के दौरान अमरीका और साम्यवादी देशों द्वारा आमंत्रित किये गये भारतीय पत्रकारों की सूचियां दी गई थीं।

1971–73 की अवधि के दौरान अमरीका और साम्यवादी देशों द्वारा जिन भारतीय पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, उनके नाम विदेश मंत्रालय से प्राप्त किये गय थे जो कि इस मामले से संबंधित हैं। अत्यंत खेद है कि श्री एस० एल० ढींगरा का नाम गलती से उन पत्रकारों की सूची में शामिल हो गया जो 1972–73 के दौरान बल्गारिया गए थे या बल्गारिया द्वारा आमंत्रित किए गए थे। श्री ढींगरा को वास्तव में ब्रिटेन द्वारा आमंत्रित किया गया था, बल्गारिया द्वारा नहीं। क्योंकि बल्गारिया और ब्रिटेन से प्राप्त निमंत्रण एक ही फाइल पर चल रहे थे, अनवधानता से यह गलती हो गई। सूचियों के चौथे कालम का शीर्षक "उस देश का नाम जिससे निमंत्रण प्राप्त हुआ" पढ़ा जाए।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had also given a Notice under Rule 115, but no reply has so far been given.

Mr. Speaker : It might be replied even now. If not, it could be replied after one and a half months later.

श्री बी० वी० नायक (कनारा): अध्यक्ष महोदय, मैं कर्नाटक राज्य में भूमि-अधिग्रहण के मामले को उठाना चाहता हूँ। मैं निर्देश 117 के अधीन दो कागज सभा-पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।*

---

*अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किये जाने के कारण कागजात / दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the paper/Document was not treated as paper laid on the Table.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को नियमों के अनुसार नहीं उठाया जा सकता। परन्तु इस मामले को उठाने की अनुमति को पूर्व-दृष्टांत के रूप में उल्लेखित नहीं किया जायेगा। कागजों के बारे में मैं अपना निर्णय उन्हें देखने के बाद दूंगा।

श्री बी० वी० नायक : यह तार मुझे अभी अभी प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार उत्तरी कनारा के तालुक कुमटा के हिरेगुट्टी स्थान पर कास्टिक सोडा कारखाने के लिए 2052 एकड़ भमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे 12,000 किसान और विशेषकर 250 हरिजन भूमिहीन और बेकार हो जायेंगे। अगर उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया गया, तो अनिश्चित काल की भूख हड़ताल की जायगी।

इस बारे में प्रधान मंत्री से भी अभ्यावेदन किया गया था कि कर्नाटक के कारबार में धान उगाने वाले बहुत उपजाऊ 2500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिससे 10,000 कृषक और उसके परिवार विस्थापित हो जायेंगे। उनसे यह अनुरोध भी किया गया था कि जांच आयोग अधिनियम के अधीन अनुचित औद्योगिक रियायत देने के सम्पूर्ण मामले की जांच की जाय और भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगा दी जाय। इस बारे में राज्य सरकार को निदेश दिया जा सकता है।

मैसूर औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 अन्यायकारी अधिनियम है। इसलिए न्यायालय से भी न्याय प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाये।

Dr. Lanminarain Pandeya (Mandsaur): The Alumina Plant at Korba has been closed and large stock of alumina has piled up theie. Thousands of workers have lost their jobs and 400 permanent employees are also likely to be retrenched. The Government should come out with a statement as to how long would it take to re-open the plant.

Secondly, the sugar mills owners have made huge profits due to increse in the excise duty, but the prices of sugar cane have not been increased in spite of the persistent demand of the cane growers.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The Government should have fixed the prices of sugar-cane at the rate of Rs. 15/- per quintal keeping in view the sharp rise in the prices of inputs such as fertilisers, diesel seeds and agricultural equipments. The Central Government shoulld make a statement in this regard and issue a directive to the states to increase the prices of sugar-cane.

श्री था किरुत्तिनन (शिवगंज) : मैं रेलवे के लोको कर्मचारियों की हड़ताल का मामला उठाना चाहता था, परन्तु अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि आज दोपहर बाद वह मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद इस मामले पर बहस की अनुमति देंगे, अत: मैं इस समय इस मामले को नहीं उठाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने संसद भवन के निकट प्रदर्शन किया और वे बोट क्लब के निकट इकट्ठे हुए। अनेक प्रमुख संसद सदस्यों ने उनके समक्ष भाषण दिया और सर्वसम्मति से उनकी मांगों का समर्थन किया।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

इन अध्यापकों के वेतनमानों में वर्ष 1961 से कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया है। 1966 में मामूली परिवर्तन किया गया था। तबसे सभी वस्तुओं की कीमतों में कई गुनी वृद्धि हो चुकी है और इससे उनका जीवन-निर्वाह काफी कठिन हो गया है। कोठारी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अध्यापकों के वेतनमानों का हर पांच साल बाद पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वेतन ढांचे आदि के बारे में नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करने में काफी समय लगाया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 1973 में ये सिफारिशें सरकार के पास भेजी थीं। पिछले नौ महीने से सरकार उन पर विचार ही कर रही है।

विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग की यह राय है कि उनके लिए एक समेकित ग्रेड होना चाहिए और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के लिए अग्रिम/अतिरिक्त वेतन वृद्धियां देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। प्राध्यापकों और रीडरों के लिए एसोसियेट प्रोफेसर का एक समेकित ग्रेड 700–1900 रुपये का और प्रोफेसरों के लिए 1500–2500 रुपये का ग्रेड होना चाहिए।

नौकरी की सांविधिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए और उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मद सं० 4 के बारे में मुझे यह बताया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि चर्चा की अनुमति देने के बारे में निर्णय वह मंत्री महोदय के वक्तव्य को देखने के बाद करेंगे। इसलिए चर्चा के लिए कोई सहमति नहीं हुई है और न कोई निर्णय इस बारे में किया गया है।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लि० जो कि एक रक्षा उद्योग है, के लगभग 50,000 कर्मचारियों ने 1 जनवरी, 1974 से हड़ताल करने का नोटिस दे रखा है। मैंने रक्षा-उत्पादन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल और प्रबन्धकों से अनुरोध किया है कि एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाय जिससे इस रक्षा उद्योग में हड़ताल को टाला जा सके।

श्री एम० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनिपुर) : मैं मणिपुर राज्य में मोटर टायरों की कमी के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाना चाहता हूँ। मणिपूर राज्य में, जहां रेलों की सुविधा नहीं है, मोटर टायरों की कमी की वजह से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मणिपूर की परामर्शदायी समिति में जब यह मामला उठाया गया तो गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मणिपूर को अधिक संख्या में टायर आवंटित किये जायेंगे और उनकी, ढुलाई के लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी; परन्तु अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

मैं औद्योगिक विकास मंत्रालय और सप्लाई मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मणिपूर और उसके अन्य पड़ौसी राज्यों नेफा, मेघालय, मणिपूर, नागालैंड और मिजोरम में टायरों का विशेष आवंटन करने के लिए विशिष्ट कार्यवाही करे, क्योंकि इन राज्यों में रेलवे की कतई सुविधा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : संचार और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री का वक्तव्य मेरे पास आ गया है। इसलिए मैं श्री एस० एम० बनर्जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को अब नहीं उठायें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अन्य मामलों को उठाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अन्य सभी मामलों को नहीं उठाये। मैं इस विषय को समाप्त करने के लिए उत्सुक हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी : व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए तालाबन्दी खत्म करने की बड़ी अजीब बात है। इसके बावजूद उपस्थिति काफी कम है। इस बारे में बातचीत की जानी चाहिए। विसंगतियों को दूर करने का वक्तव्य में उल्लेख होना चाहिए।

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : LOCK OUT IN INDIN AIRLINES CORPORATION

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : महोदय, सदन उन परिस्थितियों से अवगत है जिनमें कि इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबंधकवर्ग को 24 नवम्बर, 1973 से तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। 27 नवम्बर से, कारपोरेशन देश में कुछ एक प्रमुख नगरों के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए एक काम चलाऊ (स्केलेटन) समय-सारिणी के अनसार हर रोज कुछ सेवाएं परिचालित कर रही है।

तालाबन्दी की घोषणा के बाद भी इण्डियन एयरलाइन्स का प्रबन्धकवर्ग किसी समझोते पर पहुंचने के उद्देश्य से विभिन्न संघों के साथ बातचीत करता रहा है। संघों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि शिफ्ट प्रणाली में संशोधन, जिसे कि संघों ने तालाबन्दी के पूर्व प्रारंभ किए जाने वाले आन्दोलन का तत्काल कारण बना लिया था, उन अपव्ययी क्रियाकलापों को, जिनकी कि ओर लोक संस्था समिति ने भी ध्यान आर्कषित किया था तथा जिसको दूर करने के लिए प्रबंधकवर्ग को कोई कसर न उठा रखने के लिए निदेश दिए गए थे, समाप्त करने के लिए किये जाने वाले उपायों में से केवल एक पहला कदम था जो प्रबंधकवर्ग उठाने जा रहा था। इन अपव्ययी क्रियाकलापों की सूची जिनके निवारण के लिए प्रबंधकवर्ग संघों से सहयोग चाहता था, उन्हें दे दी गई थी। इण्डियन एयरक्राफ्ट तकनीशियन एसोसियेशन (आई० ए० टी० ए०) ने, जिसमें 2600 कर्मचारी हैं, प्रबंधकवर्ग के प्रस्तावों के प्रति अनुकुल प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा वार्ताओं के कई दौर होने के पश्यात् 8 दिसंम्बर, 1973 को एक समझोते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझोते की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी है। इसके परिणामस्वरूप इण्डियन एयरक्राफ्ट तकनीशियन एसोशियेशन के सदस्यों के लिये 10 दिसम्बर, 1973 से तालाबन्दी समाप्त कर दी गई।

भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ (आई० सी० पी० ए०) ने तालाबन्दी की वैधता को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, तथा ए० सी० ई० यू० ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय में वैसा ही किया है। कलकत्ता केस की, जिसकी सुनवाई आंशिक रूप से हो चुकी हैं, पुनः 24 दिसम्बर को सुनवाई होगी और दिल्ली केस की सुनवाई की तारीख 3 जनवरी, 1974 निश्चित हुई है।

एक समझोते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए उड़ान इंजीनियर संघ के प्रतिनिधि मुझ से तथा प्रबंधकवर्ग से मिले हैं। अधिकांशतया उन्होंने कारपोरेशन के कार्य-चालन में उचित सुधार करने की दृष्टि से प्रबंधकवर्ग द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों की सराहना की है। उनके तथा प्रबंधकवर्ग के मध्य आज एक बैठक होनी है, और मैं आशा करता हूं कि कोई समझोता हो जाएगा जिस से प्रबंधकवर्ग उड़ान इंजीनियरों के सम्बन्ध में तालाबन्दी समाप्त करने की स्थिति में हो जाएगा।

इस बीच, एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अनुरोधों को, जिनमें उन्होंने अपने मामले में तालाबन्दी को समाप्त करने का आवेदन किया था तथा प्रबंधकवर्ग को अपव्ययी क्रिया-कलापों को दूर करने में उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया था, दृष्टि में रखते हुए प्रबंधकवर्ग ने इसी 20 तारीख को समाचारपत्रों में नोटिस जारी किए थे कि यदि कोई कर्मचारी विभिन्न अप-व्ययी कार्य प्रणालियां हटाने में सहमति सम्बन्धी एक शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो तो उसके

[श्री राज बहादुर]

लिए तालाबन्दी समाप्त कर दी जाएगी। इस नोटिस के प्रकाशन पूर्व कारपोरेशन के अध्यक्ष ने एयर कारपोरेशन्स एम्प्लाईज युनियन और इंजीनियर्स एसोसियशन के नेताओं को बुलवाया व उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा काफी संख्या में कर्मचारियों के आग्रह पर ही किया जा रहा है जिसकी उपेक्षा करना उचित नहीं होगा, तथा इसका उद्देश्य किसी प्रकार से किसी भी युनियन को प्रतिकल रूप से प्रभावित करना नहीं है। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले व्यक्तिगत वचनों का भविष्य में युनियन के साथ किए जाने वाले किसी समझोते पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।

इस प्रेस नोटिस के पश्चात् काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी 21 तारीख की प्रातः को एयरलाइंस के विभिन्न कार्य-स्थलों पर उपस्थित हुए। इनमें से कुछ स्थानों के निकट ए० सी० ई० यु० के नेताओं ने भाषण भी दिए तथा कर्मचारियों को प्रबंधकवर्ग द्वारा मांगे गये शपथ-पत्र न देने के लिए कहा। तथापि, बहुत से कर्मचारी कार्य पर उपस्थित हो कर शपथ-पत्रों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और उन्हें ड्यूटी पर ले लिया गया है।

चारों क्षेत्रीय मुख्यालयों से आज प्रातः 10 बजे तक उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 1000 कर्मचारी शपथ-पत्रों पर हस्ताक्षर करके पुनः कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। ऐसा समझा जाता है कि अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य पर उपस्थित हो रहे हैं लेकिन तत्सम्बन्धी ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

प्रबंधकवर्ग सदा इस बात पर बल देता रहा है कि तालाबन्दी तभी समाप्त की जाएगी जब कि सभी संघ स्पष्ट तथा असंदिग्ध रूप से ये आश्वासन दे देंगे कि वे विभिन्न अपव्ययी कार्य-प्रणालियों को हटाने तथा एयरलाइंन्स में सुधार, सुरक्षा, कार्य-कुशलता एवं उत्पादकता सम्बन्धी उपायों में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

मुझे आशा है कि संबंधित संघों के नेता इस बात को महसूस करेंगे कि एक बड़ी संख्या में उनके अपने सदस्य प्रबन्धकवर्ग के साथ सहयोग के इच्छुक हैं; और वे शीघ्र ही एक ऐसा समझोता करने को प्रस्तुत होंगे जिसके परिणामस्वरूप सभी कर्मचारियों के लिए तालाबन्दी समाप्त करना सम्भव हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत, साधारणतया मामला लाया जाता है और मंत्री महोदय यदि वक्तव्य देने की स्थिति में होते हैं तो वक्तव्य देते हैं। आगे कोई चर्चा नहीं होती। परन्तु यह चूंकि सत्र का अन्तिम दिन है अतः सदस्य अपनी बात कह सकते हैं, वाद-विवाद नहीं होना चाहिए।

श्री वि० के० कृष्णमेनन (त्रिवेन्द्रम) : इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के प्रति सरकार ने तथा संगठन के चेयरमन ने अच्छा दृष्टिकोण नहीं अपनाया। हड़ताल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। सामूहिक रूप से द्विपक्षीय निर्णय संवैधानिक संरक्षण है। सरकार की शक्ति को हड़ताल तोड़ने के लिये प्रयोग किया जाता है। रेल मंत्री ने इस संदर्भ में प्रादेशिक सेना का प्रयोग किया। संचार मंत्री ने भी ऐसा ही कुछ किया। उस अवधि का वेतन, जिसमें कर्मचारियों को कमी किया है रोकने का सरकार को क्या हक है। ऐसा करने का केवल एक ही कारण है कि वे कर्मचारियों को भूखा मारना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बातें नोट कर लें और तत्पश्चात् उत्तर दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : एक या दो संघों ने तालाबन्दी को गैर कानूनी बताते हुये इसके विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। हम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या चेयरमैन न्यायालय का निर्णय होने तक तालाबन्दी की अवधि के वेतन की अदायगी रोक सकते हैं? जब तक न्यायालय ने यह निर्णय नहीं दिया है कि तालाबन्दी कानूनी

है अथवा गैर कानूनी, तब तक चेयरमैन को ऐसा कहने का अधिकार किसने दिया है ? बकाया वेतन की अदायगी नहीं की जा रही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwailior) : Sir, an undertaking to stop the practice of wasteful expenditure is being taken from the employees of Indian Airlines. Is it proper in a Government undertaking? Is there no way out to solve the problem? May I know whether such a wasteful expenditure is limited to Indian Airlines only? This is a dictatorial way of doing things. We want that the strike should be called off but the method adopted in this regard is not desirable.

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर) : हम बहुत समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत से श्रमिक संगठन देश को विनाश की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसी बात का भय था कि दोनों ओर से वाद-विवाद आरम्भ हो जायेगा। माननीय सदस्यों ने जो बातें उठायीं हैं यदि मंत्री महोदय उनका उत्तर दे सकते हो तो उत्तर दें।

श्री के० हनुमन्तैया : सरकार पहली बार लोगों के हितों का दृढ़ता से संरक्षण कर रही है। इण्डियन एयरलाइन्स के चेयरमैन ने इस सम्बन्ध में दृढ़ निश्चय और देश भक्ति का परिचय दिया है। हम उनका समर्थन करते हैं। यदि सरकार इस मामले में झुकेगी तो हमें बहुत दुःख होगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I would like to seek clarification to some points. May I know whether the Government decided militarization of the Government Departments and all the public Companies, whether the Government want to introduce fascism in place of trade union movement? May I also know whether the government wants to have undertakings from the employees by way of starving them? As regards wasteful expenditure, may I know whether the Government propose to withdraw the lockout unconditionally and intends to form a combined Committee of labourers, employees and the management to settle the matters about shift system?

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : देश की कठिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि कुछ राजनैतिक दल इस कठिन परिस्थिति से अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और देश में अराजकता लाने के लिये प्रयत्नशील हैं, क्या मंत्री महोदय सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि वह कुछ संघों और कुछ राजनैतिक दलों को देश में अराजकता का वातावरण नहीं लाने देंगे।

दूसरे, यह आश्वासन भी दिया जाना चाहिये कि लोक सेवा करने वाले चेयरमैन का समर्थन करेंगे ? (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शिवसेना भी बंद का आयोजन करती है (**व्यवधान**)

श्री के० हनुमन्तैया : वामपंथी रजनी पटेल शिवसेना का समर्थन करते हैं, हम नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : नयी पारी प्रणाली आरम्भ करने से जो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी क्या संयुक्त समिति में उन पर विचार किया जायेगा और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। क्या बकाया वेतन का तुरन्त भुगतान किया जायेगा ? तीसरे, क्या तालाबन्दी समाप्त करने से पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जायेगा ?

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : इस सम्बन्ध में हम मंत्री महोदय के वक्तव्य का समर्थन करते हैं ? क्या सरकार इसी नीति पर आगे भी दृढ रहेगी ? कुछ संघ देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। दूसरे, क्या सरकार 'कार्य नहीं वेतन नहीं' के सिद्धांत पर दृढ़ रहेगी? तीसरे, क्या बसु जैसे अधिकारियों

[श्री भागवत झा आझाद]

के व्यवहार पर ध्यान दिया जायेगा ? मैं आशा करता हूं कि सरकार भविष्य में इस नीति का अनुसरण करेगी ।

श्री **दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर) : सार्वजनिक उपक्रम समिति ने सिफारिश की है कि बेकार व्यय के सम्बन्ध में इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात चीत करेंगे और इसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । क्या यह सच नहीं है कि श्री लाल ने वहां उसी समय नयी पारी प्रणाली की घोषणा की थी जिससे कर्मचारियों में बहुत असंतोष फैला है ? (**व्यवधान**) क्या सरकार सभी क्षेत्रों में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? क्या सरकार इस नीति का अनुसरण करेगी ?

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : The Government, under compelling circumstance had to declare lockout. Who is responsible for instigating the employees and thus holding the country to ransom? We want that the black mailing in the name of trade unions should be stopped.

May I know the extent of loss Indian Airlines would have to suffer cosequent to this lockout and the time by which this loss would be made good? Secondly, I want to know the action Government proposes to take against those undesirable elements who have instigated such a trouble?

श्री **श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : देश की सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था छिन्न-भिन्न है और ऐसा प्रतीत होता है कि देश में सजीवता नष्ट हो गई है । विमान सेवायें शीघ्रातिशीघ्र फिरसे आरम्भ की जानी चाहिये । दोनों पक्षों को बिनाशर्त आपस में बात-चीत करनी चाहियें । (**व्यवधान**) अर्जित वेतन का अविलम्ब भुगतान किया जाना चाहिये ।

श्री **ए० पी० शर्मा** (बक्सर) : मुझे खेद है कि श्री मेनन जैसे वरिष्ठ सदस्य ने सरकार की कार्यवाही को हड़ताल तोड़ने वाला कदम बताया है । कर्मचारी स्वेच्छा से कार्य पर वापस आ रहे हैं । क्या देश के किसी भी वर्ग को देश की प्रगति में बाधक बनने का और देश को विनाश के कगार पर लाने का अधिकार है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति पर भविष्य में भी दृढ़ रहेगी ?

श्री **ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या इण्डियन एयरलाइन्स में भतपूर्व मंत्री तथा अधिकारी जो कुछ कर रहे थे सब गलत था और यकायक श्री लाल ने आ कर नयी बातें पेश की है ?

श्री लाल ने स्वंयेव ही भाड़े में वृद्धि की घोषणा करके दूसरी गम्भीर गलती की है । मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि मंत्री महोदय कर्मचारियों की मांगों के आधार पर द्विपक्षीय वार्ता कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री **बी० वी० नायक** (कनारा) : क्या सरकार इस अनावश्यक विवाद को समाप्त करने का अविलम्ब प्रयास करेगी ? क्या मज़दूर संघों सम्बन्धी श्रमिक कानूनों में सुधार किये जायेंगे और श्रमिकों के, विशेषकर सार्वजनिक उपक्रमों में, मामले निपटाये जायेंगे ?

श्री **समर गुह** (कन्टाई) : मैंने कहा था कि चेयरमैन को धैर्य से कार्य करना चाहिये और मंत्री महोदय ने मेरी बात का खण्डन किया था । आज जो परिस्थिति है उससे स्पष्ट हो जाता है कि मैंने ठीक कहा था अथवा गलत । आज सभी लोग सरकार के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं । सरकार भय और आतंक का वातावरण पैदा करके श्रमिक आन्दोलन को दबाना चाहती है ।

तालाबन्दी से अब तक इण्डियन एयरलाइन्स को कितनी हानि पहुंची है । क्या सरकार के तालाबन्दी से पहले का तथा बाद का कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने से रोका हुआ है, यदि हां तो किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या सरकार कर्मचारियों से, उनके काम पर आने से पूर्व लिखित में कोई बन्धक पत्र ले

रही है यदि हां, तो किस प्रकार का ? क्या सरकार ने उस द्विपक्षीय करार को भंग किया है जो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा कर्मचारी संघ के बीच हुआ था ? क्या सरकार नोकरशाही की नीति को छोड़ेगी और बिनाशर्त द्विपक्षीय वार्ता करायेगी और दुर्भाग्य से यदि वार्ता असफल हो जाती है तो मामले को श्रमिक न्यायाधिकरण के पास भेजेगी और इस प्रकार का निर्णय होने तक हम कर्मचारियों से सरकार के साथ काम पर आने का अनुरोध करेंगे।

श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी (गोहाटी) : क्या प्रबन्धकों ने एक करार के अन्तर्गत कर्मचारियों से वार्ता की थी और वे काम करने के लिए सहमत हो गये थे लेकिन बाहर की ऐजेन्सियों के हस्तक्षेप करने पर उन्होंने काम करने से इन्कार कर दिया? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार एक यात्री के रूप में मेरी रक्षा उन कर्मचारियों से करेंगी जो पिछले कुछ वर्षों से मुझे तंग करते आ रहे हैं तथा कष्ट पहुंचाते आ रहे है?

श्री था किसत्तिनन (शिवगंज) : मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार रेलवे अथवा इंडियन एयरलाइन्स के मजदूर संघों को क्यों कुचलना चाहती है, सरकार गलतियों पर गलतियां करती जा रही है, इंडियन एयरलाइन्स की तालाबंदी के लिये मंत्री महोदय जिम्मेवार है। इंडियन एयरलाइन्स में बहुत सा रुपया व्यर्थ ही व्यय किया जा रहा है। इस प्रकार के व्यय को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पारी प्रणाली लागू करने के बारे में क्या मंत्री महोदय ने मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया था ?

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Either the management and the concerned trade unions should sit together and resolve their differences or we should also run our air services through Air Force as is done in Ceylon, Pakistan, China and Russia... (*Interruptions*)

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I suggest that this dispute may be referred for Arbitration and strike and lockout should be withdrawn till a decision is taken by the Arbitrator.

Dr. Kailas (Bombay South) : I want to know the number of passengers, both Indian and foreigners who were put to inconvenience and the loss incurred due to stoppage of work? Also will you implement the decisions taken just now?

श्री राज बहादुर : नई पारी प्रणाली एक करार के अन्तर्गत लागू की गयी थी। करार पर मजदूर संघ तथा प्रबन्धकों ने हस्ताक्षर किये थे। (**व्यवधान**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : नई पारी प्रणाली के बारे में कोई करार नहीं हुआ था।

श्री राज बहादुर : मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ये करार 1971 में हुये थे और नई पारी प्रणाली को संशोधित करने की प्रक्रिया भी बनाई गयी थी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह बात सच नहीं है।

श्री राज बहादुर : यह करार बहुत दिनों के विचार-विमर्श के बाद हुआ था। नई पारी प्रणाली 28 तथा 29 अक्तूबर को लागू की गयी। इस पर भी 8, 10 दिनों तक विचार-विमर्श हुआ। प्रबन्धकों ने अंतिम निर्णय लेकर इसे लागू किया। बम्बई और मद्रास के कुछ मजदूर संघ इसके लिये सहमत हो गये लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल लिया और यह स्थिति सामने आयी। हमने स्थिति पर काबू पाने के लिये वह सब किया जो कुछ हम कर सकते थे। इस बारे में हम सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन खेद की बात है कि इसका पालन करने के लिये भी हमें कोसा जा रहा है। चैयरमैन भी सरकार के निदेशों का पालन कर रहा है।

[श्री राज बहादुर]

हम अब तक भी फ्लाइट इंन्जीनियरों से वार्ता कर रहे हैं। वार्ता किसी से नहीं टूटी।

कर्मचारी तथा संघ सिर्फ हमें सहयोग दे रहे हैं। आप सब भी हमारी सहायता क्यों नहीं करते? क्या इसे भी 'हड़ताल तोड़ना' कहेंगे?

हम सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों की सफलता चाहते ह, सामाजिक-आर्थिक विकास सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सफलता के बिना सम्भव नहीं और उनकी सफलता तब तक सम्भव नहीं जब-तक हड़तालें बन्द न हों। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हजारों लोग व्यर्थ के व्यय को रोकने तथा अपने नेता के लिये काम पर वापिस आ रहे हैं। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि वे उन सभी कर्मचारियों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जो काम पर वापिस आना चाहते हैं... (**व्यवधान**)

तालाबंदी की अवधि के वेतन का भी जिक्र हुआ है। जितना भी किसी को देय होगा, तब दिया जायेगा जब कि सम्भव हो, अर्थात् जब कर्मचारी काम पर वापिस आ जायेंगे (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चेयरमैन ने एक वक्तव्य में कहा था कि तालाबन्दी की अवधि का कोई वेतन नहीं दिया जायेगा।

श्री राज बहादुर : यह सिद्धांत बहुत समय पूर्व मान लिया गया है कि काम न करने पर कोई वेतन नहीं मिलना चाहिए। हम कर्मचारियों से वार्ता करते आ रहे हैं। मर्यादा का कोई प्रश्न नहीं। इसके साथ ही लोगों तथा यात्रियों के हितों का हर दशा में ध्यान रखा जायेगा।

हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कार्यक्षम हों तथा उनकी आय लगायी गयी राशि के अनुसार हो।

मैं अनेक प्रबन्धों के पक्ष में नहीं हूं और इनके शक्ति तथा अधिकारों को कायम रखने के लिये इस सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिये।

हम कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण समझौता करना चाहते हैं लेकिन यह सब सिद्धान्तों के अनुसार ही होगा।

व्यर्थ की प्रथा को हटाने के लिये यदि हमें व्यर्थ व्यय भी करना पड़े तो कोई नुकसान नहीं।

तालाबन्दी के दौरान हमें प्रतिदिन 5.5 लाख रुपये का नुकसान सहना पड़ा।

हमने कर्मचारियों से वार्ता करते समय कोई शर्तें नहीं लगायी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री राज बहादुर : चूंकि श्री बसु चाय के बारे में मेरी अपेक्षा कुछ अधिक जानते हैं, तो वे मेरे विचार में इससे संतुष्ट होने चाहिये ... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह मेरी बात को गलत ढंग से रखने के लिये नुकसान उठा चुके हैं, मैंने फालतू स्टाफ, कर्मचारियों तथा लगायी गयी पूंजी के बारे में कहा था (**व्यवधान**)

श्री राज बहादुर : यह बात सच है कि द्विपक्षीय करार भंग हुआ है जिसके लिये मजदूर संघ के कुछ नेता जिम्मेवार है (**व्यवधान**)

हम यात्रा करने वाले लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे।

हम इस मामले को 24 घंटे के अंदर नहीं निपटा सकते अथवा इसे एयर फोर्स को नहीं सौंप सकते (**व्यवधान**)

मैं आपसे इन व्यर्थ प्रथाओं को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार हटाने के संबंध में सहयोग चाहता हूं ।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय काय मंत्री ने मुझे एक नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने तथा उनका स्वागत करने का अनुरोध किया है। वे एक माननीय महिला है ।

महासचिव उनका नाम ले ।

महासचिव : श्रीमती प्रिमलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण ।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण की गई ।

श्रीमती प्रिमला बाई दाजीसाहेब चव्हाण (कराड़)

उपाध्यक्ष महोदय : अगली कार्वाही शुरू होने से पहले नागर विमानन मंत्री लुफ्थांजा विमान दर्घटना के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं।

दिल्ली में हुई लुफ्थांजा बोइंग विमान दुर्घटना के बारे में जांच न्यायालय की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: APPOINTMENT OF COURT OF INQUIRY ON LUFTHANSA BOEING CRASH IN DELHI

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : जैसाकि सदन में मैंने पहले भी बताया था कि 20 दिसम्बर को दिल्ली एयरपोर्ट पर लुफ्थांजा बोइंग 707 की दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच का कार्य उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे न्यायाधीश को सौंपा जा रहा है। अब यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एस० रंगाराजन को वायुयान नियम 1937 के अन्तर्गत जांच आयोग के न्यायालय के लिये नियुक्त किया जा रहा है। इस न्यायालय को दो परामर्शदाता, ग्रुप-कैप्टन एस० दास शर्मा, जो अब तक वायुसेना के मौसम विज्ञान विशषज्ञ थे तथा कैप्टन एस० बी० चटर्जी एयरइंडिया के बोइंग 707 के कमांडर सहायता करेंगे।

न्यायालय को जांच कार्य आठ सप्ताह में समाप्त करने का अनुरोध किया जायेगा ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की है कि सविधान के अनुच्छेद 22(7) के अन्तर्गत व्यक्ति की नजरबन्दी कानून के

[एस० एम० बनर्जी]

अधीन सज़ा की अधिकतम अवधि नियत करने का दायित्व सरकार का नहीं है। इस निर्णय का लाभ उठाते ए सरकार किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय के लिए नजरबन्द कर सकती है। क्या सरकार इस निर्णय पर विचार करेंगी ताकि लोगों को अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द न किया जा सके? मेरा अनुरोध है कि संसदीय प्रजातंत्र के हितों की रक्षा के लिए मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें।

वेतन आयोग की सिफारिशों से केवल 20 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए है। सिफारिशों में कई विषमताएं हैं। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि इन विषमताओं कौ दूर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि स्पष्ट विषमताओं पर चर्चा की जाएगी। सरकारो कर्मचारियों के बीच असंतोष फैल रहा है और यदि कोई कार्यवाही न की गई तो हो सकता है कि वे कोई कदम उठाए। इसलिए मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : कल मैंने नियम 377 के अधीन नेताजी जांच आयोग के बारे में चर्चा उठायी थी। यह आयोग अपना प्रतिवेदन सदन के अगला सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व दे देगा। मने कल बताया था कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की फाइल में से 31 पत्र तथा कागजात या तो रोक लिये गये अथवा नष्ट या गायब कर दिये गए हैं। पंडीत जी को नेताजी ने मंचुरियां से स्वयं एक पत्र लिखा था। वह पत्र भी गायब है। सरकार इस बात की जांच करें कि ये कागजात आयोग को उपलब्ध क्यों नहीं कराए जा रहे। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में कागज का अकाल है। इससे 20 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनकी पाठ्यपुस्तकें कागज के अभाव में नहीं छप रहीं। प्रकाशकों ने सरकार से अपील की है। सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए अन्यथा पश्चिम बंगाल की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली अवरूद्ध हो जाएगी।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Mr. Speaker, Sir I want to draw the attention of the hon. Minister to the food situation of Bihar. The population of Bihar is near about five and a half crores. The food grains in the state is not sufficient engough to meet the demand. Therefore, food grains are imported from other States. Now since the nationalisation has been done in this field, we entirely depend on the Government. It is a matter of regret that only twenty thousand tonnes of foodgrains have been provided as against an actual requirement of 2.1/4 lakh tonnes. In the month of November, Delhi has been provided with 50 thousand tonnes of foodgrains for its population of 40-50 lakh whereas to Bihar they have allotted only 20 thousand tonnes of foodgrains.

I want to draw the attention of the Government to this fact also that between January and November 1972, Bihar has been allotted 9.28 lakh tonnes of wheat but in the corresponding period in the year 1973, only 3.90 lakh tonnes of foodgrains have been given to Bihar so far, which is very much inadequate. Food grains should be immediately despatched to Bihar, according to allocation made, otherwise situation will get out of control because Bihar is already starving.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I agree with the demand made in regard to foodgrains by the hon. Member, Shri Shankar Dayal Singh. The condition of Bihar state is really pitiable. There is no drinking water in the capital of the state. If this is the position in winter, what will happen in summer. Bihar Government financial position is also not sound. The Central Government should allocate special funds to Bihar Government for providing drinking water in the city of Patna.

House Rent Allowance should be given to thousands of Railway employees who are working at Danarpur, which is the divisional office of the Eastern Railway. In these hard times it is difficult to get a house on rent. The Government also does not provide them with quarters. It is not known as to why the House Rent Allowance has been stopped for them when it had been paid between 1967 to 1969. In such a situation, they ought to be given House Rent Allowance.

The situation in N.F. Railway is very explosive because there is a possibility of strike by station Masters. Inspite of the assurance given by the officers, their demands have not been met and several employees have either been arrested under D I R. or suspended. The arrested persons should be released and suspension orders should be withdrawn. Government should make efforts to normalise the situation.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwaliar) : There is an apprehension that water supply arrangements in Delhi will be disturbed because the engineers of Delhi water supply and sewage Disposal undertaking have decided to start a work to rule agitation. They are doing so because of an irregular appointment made by the Commissioner in the undertaking. It will result in the reduction of water supply and a great hardships to Citizen. The Ministry of Home Affairs should intervene in the matter and solve the problem.

Shri Ratan lal Brahaman (Darjeeling): Nepalese are being persecuted in several districts of Assam. Several incidents of this nature have come to notice at different places in Lakhimpur district in Assam. Very serious situation has developed for Nepali residents in Assam. They will be facing great hardship if the center do not intervene to put an end to their persecution by Assam Government. Most of them are ex-servicemen and they have been living there with their families for a long time. The Union Government should adopt urgent measures to solve this problem.

Shri Madhu Limaye (Banka) : There is a great discontentment amongst the teachers of Delhi University. Government had received the recommendations of U.G. C. Six months back but no decision has been taken so far. The revised pay scales should have been enforced from 1st April 1971. One would like to know as to when the Government is going to take decision in this regard. There should be one uniform running grade for all teachers. No provision has been made for their housing. Private colleges in Delhi are being run by moneyed people who do not contribute even 4 to 5 per cent of their expenditure. What is the reason for which Delhi University is not taking them over ? The administration of the University should be entrusted to the representatives of teachers and students. I have repeatedly raised the matter in regard to the incident of burning a Harijan alive in the district of Monghyr but the Union Home Minister has not made any statement so far in this regard.

Negotiations are going on between Government and Esso Company of Bombay for giving 74 per cent equity shares to Government. It is learnt that Rs. 17 crores are to be paid to them but it is to be noted that Esso company has been disposing of this property. If it is so, is the Government going to pay such heavy amount for the purchase of junk only? The Petroleum Minister should look into the matter.

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILAGE

संसद सदस्य, श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर को बेर्दवान में गिरफ्तार किये जाने के बारे मे अध्यक्ष को सूचना न दिया जाना

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : 20 नवम्बर, 1973 को मैंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 222 के अन्तर्गत मेरी गिरफ्तारी के बारे में पश्चिम बंगाल प्राधिकारियों द्वारा अध्यक्ष, लोक सभा को सूचित करने में असफलता के बारे में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह जानकारी प्राप्त करेंगे। आज

[श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर]

सत्र का आखिरी दिन है, परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई उत्तर नहीं भेजा है। मेरा अनुरोध है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य उपमंत्री इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। नियम 229 में स्पष्ट कहा गया है :

"जब कोई सदस्य किसी दंड, दोषारोप या किसी दंड अपराध के लिए बन्दी किया जाए या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाए, तो यथास्थिति, सम्पर्क न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तृतीय अनुसूची में दिए गए समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा।

20 नवम्बर को माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया था और अब एक महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निदेश के बावजूद कुछ नहीं किया गया। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ है लेकिन मैं अभी कोई निर्णय नहीं कर सकता। उपमंत्री इस मामले पर गौर करें और सरकार को कहे कि वह आगे कार्यवाही करे। उसके बाद ही मैं निर्णय करूँगा।

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं सूचना दे दूंगा।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं सरकार और विशेषत: प्रधानमंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि देश नर्मदा जल विवाद पर उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात स्पष्ट है।

श्री पी० जी० मावलंकर : हमने दो घंटे गंवा दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी भाषा का प्रयोग न करें।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं क्षमा चाहता हूं और अपने शब्द वापिस लेता हूं। इसी सप्ताह सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने बताया था कि प्रधानमंत्री का निर्णय शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। मुझे आशा है कि अन्त:सत्र अवधि में यह कार्य पूरा हो जाएगा।

गुजरात को गेहूं की सप्लाई में कमी आई है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह गेहूं का अधिक आबंटन करें।

गुजरात और अहमदाबाद में रहने वाले तथा काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : Mr Deputy Speaker, Sir, I have given notice of a motion under Rule 377. On 19-12-1973, the Janta Express was looted on western Railway by a group of persons. A number of such incidents have already taken place. Such incidents are taking place because of wide spread starvation and unemployment... *(interruptions)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह समाचार तो पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria) : Cane-growers of Bihar are on strike in support of their demands. They want that price of cane should be Rs. 15 per quintal. All India Cane-growers Convention are also of the view that above mentioned price be fixed. We also want that price be fixed Rs. 15 per quintal and sugar mills be nationalised.

श्री कृष्णचंन्द्र हाल्दर : बर्दवान जिले में गत दस वर्षों में बाढ़ के कारण 60 गांव क्षतिग्रस्त हुए हैं और 60,000 एकड़ धान की खेती नष्ट हुई है। मंत्री महोदय बाढ़ नियन्त्रण के लिए एक योजना को स्वींकृति दें।

लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक
PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS LAWS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948, वित्त निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 तथा युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अधिनियम, 1963 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : विधेयक का पुरःस्थापन नियमों के उल्लंघन करके किया जा रहा है, क्योंकि पुनःस्थापन के लिए दो दिन की सूचना अनिवार्य है। अतः मैं अपने विरोध प्रकट करता हूं।

वित्त मंत्री नहीं चाहते कि विधेयक इसी सत्र में पारित किये जाए। यदि वह ऐसे चाहते हैं तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से उच्चस्तर पर परामर्श लेने की आवश्यकता है। यदि यह विधेयक जटिल ही है तो इसे प्रवर समिति को क्यों नहीं सौपा जाता। मेरा अनुरोध न कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए। आशा है कि समिति अच्छे सुझाओं के साथ विधेयक को वापिस भेजेगी। अतः सदस्यों को अवसर दिए बिना विधेयक को शीघ्रता से पुरःस्थापित किये जाने का मैं विरोध करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, while agreeing to Shri Sezhigan, I want to say that this Bill is not only unnecessary but dangerous also. The coordination of long term and short term loans is the function of Reserve Bank. I would like to suggest that the Banking Department, which is under the Ministry of Finance, should be done away with and the cases of issuing loans and investment of capital should be centralized under the Reserve Bank. An Investment Board consisting of the representatives of all public financial institutions, should be constituted to work under the superivision of the Reserve Bank of India. Even the investment by the Life Insuance Corporation should be brought under the Reserve Bank. From time to time Government should issue direction to the Reserve Bank in order to achieve the economic and industrial targets. In the end, I request the Minister to withdraw this Bill and to bring forward a comprehensive Bill outlining the re-organisation of financial institutions. If necessary amendments may be made in the Reserve Bank Act. Meanwhile we should be given an opportunity to discuss the Bank Commission's report.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विधेयको की पुरःस्थापना से संबंधित नियमों के विलम्बने के बारे में आपने कुछ टिप्पणियां की थो। पीठासीन अधिकारी की ओर से यह भी निर्णय दिया गया था कि नियम सामान्यतः निलम्बित नहीं किये जाने चाहिए। यह

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

लगभग प्रतिदिन हमें बताया जाता है कि नियम निलम्बित कर दिया गया है। यह विरोधाभास क्यों है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने स्पष्टतः विधेयक के परिचालन के लिए दो दिन के समय से संबंधित नियम में ढील दिये जाने की ओर संकेत किया है। नियम स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी के परामर्श से नियमों में ढील दी जा सकती है। इस मामले में अध्यक्ष ने निर्णय किया है और ऐसा करन के लिए कारण भी स्पष्ट हैं। यह विधेयक बड़ा जटिल है और सरकार को कई संस्थाओं का परामर्श लेना पड़ा। सरकार को इस विधेयक को तैयार करने में भी विलम्ब हुआ है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : विधेयक 10 दिसम्बर को पूर्ण हो गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति इससे भी पूर्व ले ली गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके जो दो कारण बताये गये हैं, वे उचित प्रतीत होते है। पहला यह है कि सरकार बहुत से वित्तीय संस्थाओं का इस बारे में परामर्श लेना चाहती थी क्योंकि यह एक जटिल मामला है। दूसरा कारण यह था कि सरकार इस विषय से सदस्यों को आज सभा के अन्तिम दिन अवगत करना चाहती थी ताकि उन्हें इस पर विचार करने का पूर्ण समय मिल जाये और सदस्य उसका गम्भीर अध्ययन कर सके। मेरे विचार से यह अच्छी बात है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक विधेयक की तारीख का संबंध है, इसको ठोस प्रकार से छपवाने में कठिनाई आई थी। माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई हैं, वे विधेयक के गुणदोष से संबंधित हैं जिन पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता। यह विधेयक पर चर्चा के दौरान होगा। यहां मुझे यही कहना है कि सरकार इस विधेयक को लाने की आवश्यकता समझती थी।

Shri Madhu Limaye : Sir, I have a point of order. If you see the rule, the discussion on fundamental principles can be discussed.

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु प्रवर समिति का प्रश्न तो विधेयक पर चर्चा के समय उठाया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : According to rule 72 the objections raised in brief by me, should be asnwered by the Minister briefly. It has not been mentioned in the rule that the merits of the Bill cannot be discussed. I want your ruling on the interpretation of the rule.

उपाध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, उसमें सार है। यदि किसी सदस्य ने नियमानुसार आपत्ति की है तो मंत्री को उसका संक्षेप में उत्तर देना चाहिए। मंत्री द्वारा यह कहा जाता कि प्रतिपक्ष के सदस्य विरोध के लिए विरोध करते हैं, सभा की अवहेलना करनी है। यह सभा के नियमों के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक की पुरःस्थापना का समय है और इस समय इसका विरोध केवल निम्न दो आधारों पर ही किया जा सकता है, विधेयक के गुण-दोष के आधार पर नहीं। पहला आधार यह है कि कोई विधेयक सभा भी विधायकी शक्तो के अन्तर्गत आता है अथवा नही। यदि यह आधार है तो अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी इस पर आंशिक या पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है। दूसरे, प्रक्रिया संबंधी गलतियों के आधार पर भी विधेयक का पुरःस्थापना के समय विरोध किया जा सकता है। जैसे धन विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन का न होना या उस

पर राष्ट्रपति सिफारिश का न होना। इस समय गुण-दोष के आधार पर विधेयक का विरोध नहीं किया जा सकता। गुण-दोषों की चर्चा विधेयक पर विचार करते समय की जा सकती है।

श्री एच० एन० मुखर्जी: श्रीमान निरोधात्मक नजरबन्दी संबंधी विधेयक का प्रत्येक वाचन-प्रथम, द्वितीय और तृतीय पर विचार किया गया था। पुनःस्थापना के समय उक्त विधेयक का विरोध करते समय मैंने उसके गुण-दोषों का उल्लेख भी किया था। यदि आपने श्री मधु लिमये को विधेयक के गुण-दोषों का उल्लेख करने की अनुमति दे दी है, तो मंत्री महोदय को उनका उत्तर अवश्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके लिए यह अनिवार्य नहीं है। **(व्यवधान)** मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि इस अवसर पर गुण-दोषों का उल्लेख करना असंगत है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री लिमये ने विधेयक के गुण-अवगुणों के आधार पर उसका प्रथम वाचन पर विरोध किया था। श्री लिमये का मुख्य कथन यह था कि सरकार को बैंकिंग विभाग के अन्तर्गत यह मामला लेने के बजाय, यह रिजर्व बैंक पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए था ताकि वे पहले की तरह काम करती रहतीं किन्तु वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण और उनके विद्यमान कार्यभार को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि उन्हें रिजर्व बैंक से अलग किया जाये। रिजर्व बैंक न केवल केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, बल्कि उसे अन्य कार्य भी करने होते हैं जैसे कृषि विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करना आदि। औद्योगिक विकास के बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए सरकार ने यह अनुभव किया था कि इसके लिए एक पृथक कम्पनी हो जिसके अन्तर्गत सभी वित्तपोषक संस्थाओं को लाया जा सके। इस दृष्टि से यह विधेयक लाना जरुरी हो गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. WORKING OF FOOD CORPORATION OF INDIA

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निम्नलिखित पुस्तक पर आगे चर्चा होगी :

"कि यह सभा भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर विचार करती है।"

अब श्री शंकर दयाल सिंह अपना भाषण पूरा करें।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Deputy Speaker, Sir, there is abnormal rise in the prices of foodgrains and there is shortage of foodgrains in the country. In such a situation the working of the Food Corporation of India should be made more efficient and strengthened so that this body may play more active and powerful role.

[श्री कमल नाथ तिवारी पीठासीन हुए ।
Shri K. N. Tiwari *in the Chair.*]

[Shri Shankar Dayal Singh]

I appreciate the steps taken by the Minister of Agriculture to improve and overhaul the working of the Food Corporation of India, but they have not yielded the desired results.

If we take the numer of thefts which took place during last years, we will see that there are 63 cases in 1958 amounting to a loss of Rs. 2,42,275; 69 cases in 1969 involving a loss of Rs. 4,92,637; and 62 cases in 1970 resulting a loss of Rs. 5,04,739. This loss ultimately goes to the people of India and not to the employees of the Corporation.

The Committee on Public undertaking has also passed adverse remarks on the working of the Food Corporation of India. According to the observation of the Committee the Food Corporation of India suffered a total storage loss of Rs. 21.96 crores during 1966-67 to 1970-71. The plea given for this loss that 'viewed against the total turnover, there losses are not much' could not satisfy the committee on Public undertakings. Similarly the transit loss is also high. It was 1.58 per cent in 1965-66 which increased to 3.26 per cent in 1968-69. The working of this corporation should be strengthened so that it may prove a successful link between the producers and the consumers in respect of foodgrains in the country. It should pay due attention to the interests of producers as well as consumers.

The Committee on Public Undertaking has also observed that the corporation is overstaffed and overstaffing is to a great extent responsible for losses and corruption in the corporation. The surplus staff must be retrenched and as far as I remember about 7700 employees are surplus in the corporation. The employees in this corporation should not think themselves as 'officers' but they should render selfless service to the people of the country. The cases of corruption, malpractices and indiscpline should be dealt with strongly. Moreover the corporation should not be burdened with the take over of more commodities like sugar etc. It should deal only in foodgrains. In the end I would like to suggest that the Central Government should give all cooperation to the State Governments which are going to set up their own food corporations. It would be better if whole trade in respect of foodgrains is entrusted with the food corporations of various States.

श्री समर गुह (कन्टाई) : सभापति महोदय, हमारे देश में भारतीय खाद्य निगम एक ऐसा सरकारी उपक्रम है जिसमें शायद रेलवे को छोड़कर सबसे अधिक पुंजी लगी है। इस संस्था में जितनी अधिक पुंजी लगी है उतना अधिक ही इससे भ्रष्टाचार, हानि और अकार्यकुशलता है। खाद्य मंत्रालय भी इसकी समस्याओं को सुलझाने में बड़े बड़े पैमाने पर असफल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन के समय खाद्य मंत्रालल के मंत्री क्यों नहीं बदले जा रहे हैं। श्री अण्णासाहेब शिन्दे को तो स्वयं ही हट जाना चाहिए था। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्ट ढांचे के साथ वह भी रल-मिल गये हैं। हमारे देश में खाद्य समस्या का यही एक समाधान है कि मंत्री अपने कार्य में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अनाज के समुचित वितरण की नीति को पूर्ण रूप से लागू करें। भारतीय खाद्य निगम के संबंध में, न केवल नीति में परिवर्तन अपेक्षित है बल्कि उसके ढांचे और कार्यकरण में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि इस निगम को ढुलाई, चढ़ाई-उतराई और यात्रा भत्ते आदि पर 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह भी मत व्यक्त किया गया है कि इसमें 25 प्रतिशत की कमी की जा सकती है। परन्तु सरकार ने इस बारे में कोई तर्क सम्मत स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

किन्तु सरकार ने इस चुनौति का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिनसे भ्रष्टाचार सिद्ध हो सकता है।

सरकार गैर-सरकारी ठेकेदारों को प्रति 100 बोरों के लिए 23.5 पैसे देती है जबकि यह कार्य निगम के कर्मचारियों से 10 पैसे के हिसाब से कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों को रखने के लिये गैर-सरकारी गोदामों को ठके पर दिया जाता है जबकि 66 प्रतिशत सरकारी गोदाम खाली पड़े रहते है।

खाद्यान्नों के बारे में भ्रष्टाचार किया जाता है तथा उनकी चोरी भी होती है। अकेले बिहार राज्य में ही 5-6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। उड़ीसा में चावल मिल काण्ड विशेषरूप से उल्लेखनीय है। केवल दो मिलों ने ही 30 लाख रुपये के मूल्य के खाद्यान्न का घुटाला किया है। पश्चिम बंगाल ने कर्मचारियों ने 900 मोटरगाड़ियों से चोरी पकड़ी किन्तु किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जहां तक विलम्ब शुल्क का प्रश्न है स्यालदह रेलवे साइडिंग में 10 जुलाई 1971 से 24 फरवरी 1972 तक की अवधि में कोई मालडिब्बा नहीं था किन्तु भारतीय खाद्य निगम ने 4 लाख रुपये का विलम्ब शुल्क अदा किया है। निगम के लेख में उन बातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। लुधियाना में एक ईमानदार अधिकारी श्री जगमोहन वर्मा ने एक अन्य अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा जो नई बोरियों के स्थान पर पुरानी बोरियों का उपयोग करता था। इस बारे में एक जांच समिति बिठाई गई जिसने इस इमानदार अधिकारी को इनाम दिये जाने की सिफारिश की। किन्तु उसे रुद्रनगर स्थानान्तर करा दिया गया।

मितव्ययिता के नाम पर सरकार ने 945 कर्मचारियों की छटनी कर दी है तथा 1300 कर्मचारियों को पदावतन करा दिया है। मितव्ययिता का यह अजिब तरीका है। किन्तु दूसरी और सरकार ने लगभग 1000 रुपया वेतन पाने वाले अधिकारियों की भर्ती की है और लगभग 70 अधिकारियों का दर्जा बढाया है।

भारतीय खाद्य निगम की राज्य सरकारों तथा रक्षा मंत्रालय और अन्य विभाग की ओर लगभग 291 करोड़ रुपये की राशि बकाया है जब कि निगम को भारी राशि ब्याज के रूप में देनी पड़ रही है। यदि बकाया राशि वसूल कर ली जाये तो गेहूं की कीमत बहुत कम हो सकती है।

भारतीय खाद्य निगम के नये चेयरमैन ने एक नया सुरक्षा सैल स्थापित किया है, जिसपर लगभग 30 लाख रुपया खर्च होगा। मुझे दुसरा औचित्य समझ में नहीं आया। अतः यदि सरकार वास्तव में देश की खाद्य सदस्या को हल करना चाहती है तो खाद्य मंत्रालय का पूर्णतः पुनर्गठन किया जाए तथा भारतीय खाद्य निगम का उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो दूरदर्शी और निष्ठावान हो।

अंत में मेरा सुझाव है कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिये तुरंत एक उच्चतर शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाए तथा यह ज्ञात किया जाए कि क्या यह चुनौति सच है कि निगम का 25 प्रतिशत खर्च कम हो सकता है, यदि उसका कार्यकरण ठीक हो।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : जहाँ तक सरकारी गोदामों के खाली रहने का प्रश्न है, माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि प्रत्येक राज्य के खाद्यान्न वसूली के लक्ष्य निर्धारित होते हैं और जब वसूली लक्ष्यों से कम रह जाती है तो गोदामों का खाली रहना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, बिहार ने 6 लाख टन खाद्यान्न वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था तथा उसे रखने की व्यवस्था भी की थी, किन्तु वहाँ केवल 30,000 टन खाद्यान्न वसूल किया जा सका। भारतीय खाद्य निगम ने देश की खाद्य समस्या को सुलझाने में बहुत योगदान दिया है किन्तु

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

सभा में उसके कार्य की कोई प्रशंसा नहीं की गई। भारतीय खाद्य निगम के तीन उद्देश्य हैं, खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य बनाए रखना, आवश्यकता की पूर्ति के लिये संचित भंडार बनाना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करना। भारतीय खाद्य निगम ने अपने इन उद्देश्यों की सफलता से पूर्ति की है। निगम की स्थापना से पूर्व फसल आने पर खाद्यान्नों के मूल्य बहुत कम हो जाते थे तथा फसल का समय बीतने पर उनके मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाती थी। भारतीय खाद्य निगम इस स्थिति पर काबू पाया है तथा किसानों का बहुत हित किया है।

यह सम्भव है कि कहीं किसानों को खाद्यान्न का कम मूल्य दिया गया हो। यह भी सम्भव है कि उन्होंने बढ़िया किस्म का खाद्यान्न नहीं दिया होगा। जहाँ तक भाण्डागारण क्षमता का संबंध है, आरम्भ में 6.18 लाख टन खाद्यान्न जमा किये जाने की व्यवस्था की, अब उसको बढ़ाकर 28.87 लाख टन कर दिया गया है तथा किराय के भाण्डागारों सहित कुल क्षमता 78.60 लाख टन है। इतनी अधिक राशि को देखते हुये किराये की राशि भी अधिक दनी स्वाभाविक है। यदि इतनी अधिक मात्रा में खाद्यान्न संचित किया जाए तो खाद्यान्न के मूल्यों में भारी कमी हो जाएगी।

जहां तक दूसरे तीसरे उद्देश्य का संबंध है, खाद्यान्न वितरण का कार्य मुख्यरूप से राज्य सरकारों का है। फिर भी जो राज्य सरकार इस कार्य के निष्पादन में असमर्थ हैं उसके लिये निगम वितरण करता है। उसने उचित दर की दुकानों को भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किया है।

मुख्य आरोप यह लगाया गया है कि निगम का खर्च बहुत अधिक है। मंत्री महोदय को इसकी जांच करने के लिये एक विभागीय समिति नियुक्त कर देनी चाहिय। जहां तक मण्डी में किये जाने वाले खर्च तथा परिवहन व्यय का संबंध है, प्रत्येक व्यापारी को यह खर्च करना ही पड़ता है। निगम ने 2 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से मण्डी खर्च निर्धारित किया है तथा 3.64 रुपया प्रति क्विटल के हिसाब से परिवहन खर्च । मेरे विचार से यह व्यय किसी भी हालत में अधिक नहीं है।

मेरे विचार से प्रशासनिक खर्च में कमी किये जाने की गुंजाइश है तथा सरकार को इसकी अवश्य जांच करनी चाहिये। कुछ राज्यों में कोई वसूली नहीं की गई। इस स्थिति में वहाँ कर्मचारी क्यों रखे जाएं? यहाँ भी कर्मचारियों की संख्या में कुछ कमी की जा सकती है। सम्भव है ढुलाई खर्च थोड़ा अधिक हो। उस बारे में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि कहीं ट्रकों से खाद्यान्न भेजना पड़ता है तथा रेल से। खाद्यान्न की चोरी आदि के कुछ मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है तथा इन मामलों पर कार्यवाही भी की गई है। कुछ राज्यों ने अपनी एजेन्सियां जी स्थापित की है जो वहीं काम करती हैं जो भारतीय खाद्य निगम। यह अच्छी बात है। इससे भारतीय खाद्य निगम का कार्य सरल और हल्का हो गया है।

इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि राज्यों की खाद्य एजेन्सियों से यह सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ या सूखा की स्थिति में वे राष्ट्रीय आवश्यकता का ध्यान रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर वे केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न दें। दूसरे, भारतीय खाद्य निगम में फालतू कर्मचारियों को राज्यों के खाद्य निगमों में रोजगार दिया जाए।

तीसरे, क्या राज्य खाद्यान्न निगमों के पास इतनी भारी मात्रा में खाद्यान्न खरीदने तथा उसे भाण्डागारों में रखने की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त धनराशि है? मुझे आशा है कि भारतीय खाद्य निगम के महानिदेशक जिन्हें इस क्षेत्र में पूरा अनुभव है, भारतीय खाद्य निगम में विद्यमान बुराइयों को दूर कर सकेंगे।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : In view of the laudable objectives of F.C.L. to help both the farmers and the consumers, it is a must to have this organisation in our country. Food Corporation of India has succeeded in checking the fluctuation in prices of foodgrains. It has also made better stocks for the time of natural calamities.

But in certain matters the functioning of this corporation is required to be improved. Purchase Officers of this corporation should procure foodgrains through co-operative societies and regulated markets and not through traders. They should procure quality foodgrains and the payment of price should made to the farmers immediately. It has been observed that there is no coordination among the various state Food Corporations which have started functioning recently. Services of the cooperative societies are not being taken. properly. Procurement system is also defective. Quality of foodgrains approved by one inspector is rejected by another quality inspector. It is commercial organisation and the attitude of the officers of this corporation should be commercial and not bureaucratic. There should be proper maintenance of the foodgrains procured by the Corporation. They must ensure timely disposition of foodgrains also.

I would like to know the reasons for having heavy incidental expenditure to the tune of Rs. 26.27 per quintal while it does not exceed Rs. 14.15 in case of private traders. Government should look into it. Producers should get fair prices of their products and at the same time consumers should get foodgrains at fair prices. Government should give training to the officers to bring efficiency in the food corporation of India. They should appoint honest employees and they should be paid handsome salaries. Food Corporation of India has performed its duties honestly and effective in regard to distribution of foodgrains. I reiterate the demand of removal of middlemen from the process of procurement of foodgrains and the officers should procure foodgrains at village level. Besides foodgrains, we will have to think about other commodities like oilseeds also. I hope the Government would consider these concrete suggestions.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Food Corparation of India was originally set up in 1965 to handle the foodgrains imported from foreign countries. In 1966, the scope of its functioning was expanded and the distribution of fertiliser to the farmers at fair prices was brought under the purview of this Corporation. Government also realised that private traders used to purchase foodgrains from the producers at very low prices and sold it to the consumers after season at very high prices. To check this practice, Government fixed a support price which is continuing on an experimental basis. Government took over wholesale trade in wheat. But immediately after this announcement, big traders instructed all the financial institutions in the country to give financial assistance to the small traders for purchasing maximum coarse grains at higher prices as a result of which the prices of coarse grain increased very much in the country. It resulted in adverse effect on the procurement target fixed by the Government.

I would like to refer to my constituency. Big farmers there hoarded thousands of quintals of wheat in the name of seeds. Now they have sold their wheat in Maharashtra at Rs. 1.50 per Kg. In these circumstances, Government should not have lifted restriction.

I have personally observed that when government purchase foodgrains, they are sifted three times but when they come at the fair price shops they are full of shingles and dirt. What is this? It has also been observed that food Corporation has recruited only 200 persons for our area out of a total of 1600 persons. Most of the officers posted in our area do not follow the language of the local people.

I suggest that Government should expand their storage capacity which is at present only 18.40 lakhs tonnes. Government should avoid hiring private godowns because of the fact that there is no security against theft.

[Shri Nathu Ram Ahirwar]

Cases of malpractices regarding medical reimbursement have also been reported in connection with the employees of eastern region. Government should look into all these matters.

The working of Food Corporation of India is satisfactory and it has proved helpful for the farmers. But sometimes Private traders enter into collusion with officials of the aforesaid Corporation. In view of this, Government should purchase foodgrains through Corporations so that collusion with private traders could be avoided. The working of the Food Corporation of India should be streamlined and loopholes plugged.

The employees of Food Corporation of India do not care for the district authorities just because they are Central Government employees. They should be asked to cooperate with the local authorities so that our aim to supply essential commudities to the needy people in time could be achieved.

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : भारतीय खाद्य निगम एक महत्वपूर्ण संगठन है जो अनाज वसूल करता है। भण्डार बनाता है वितरण करता है यदि वह अपने उद्देश्य में असफल रहता है तो यह बात छिपी नहीं रह सकती। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि सरकार इस निगम की कमियों से अवगत है और वह उसमें सुधार करने के लिये प्रयत्नशील है। मेरे विचार में वसूली की प्रक्रिया, भण्डार व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिये। उचित मात्रा म और अच्छी किस्म का अनाज उपलब्ध होना चाहिये। इसके साथ ही वह ठीक स्थान पर और उचित समय पर मिलना चाहिये।

मेरे विचार में भारतीय खाद्य निगम को क्षेत्रीय आधार पर तथा वस्तु के आधार पर अनेक निगमों में विभक्त किया जाना चाहिये। ऐसा करने से खर्च में वृद्धि हो सकती है परंतु कार्यकुशलता बढ़ जाने से उसकी क्षतिपूर्ति हो जायेगी। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि समस्त देश में गहूं, चावल आदि का भाव समान होना चाहिये। मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार कर के उत्तर दें।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : The object of setting up the Food Corporation of India was very important. This Corporation was to make the commodities available to the constumer at cheaper rates and also pay reasonable price to the producer. The Government should try to plug the loopholes in the working of the Corporation if they want to achieve their object. The difference between purchase and sale price is much more beacause of mismanagement. The procedure of procurement and sale should, therefore, be streamlined. Sufficient attention is not paid to see that commodity arrived earlier is also despatched earlier and one arrived later is kept in storage. As a result of this negligence, lakhs of tonnes of foodgrains become unfit for human consumption.

It has been observed that employees of Food Corporation of India always try to use underhand means to supplement their income. The distribution system is no exception. There is large scale corruption and trade Unions are very much involved in it. It seems that management and workers are in league in so far as this matter is concerned. Then, there is union rivalry which results in dislocation of distribution system and as a result thereof consumer has to suffer. He has to purchase the commodity at double the price.

The object of setting up Food Corporation of India can be achieved only if its working is streamlined, otherwise we shall never reach our distinations.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस मद के लिये कितना समय नियत किया गया था और कितना लग गया है?

सभापति महोदय : शेष दो घण्टे का समय है । 1 बज कर 45 मिनट पर इस विषय पर चर्चा आरम्भ हुई थी ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : मंत्री महोदय कब तक उत्तर देंगे ?

सभापति महोदय : यदि प्रत्येक माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक समय न ले तो मंत्री महोदय 3 बज कर 30 मिनट पर उत्तर देंगे ।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : I think the Food Corporation is not functioning properly. Both the consumers and cultivators are in difficulty.

The main objective of the Food Corporation was to prevent the people from fleecing the farmers but it could not achieve that objective.

The prices of sugar are spiralling. The Food Corporation should not only take over the trade in sugar but build-up its buffer-stock so that self-sufficiency in sugar may be achieved.

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun) : The Food Corporation has not come up o our expectations. There are short-comings in its working.

I had an opportunity of having parleys with the hon. Minister who told me that the Ministry cannot interfere in the working of independent corporations. It is necessary to make changes in the concerned law, rules and regulations so that the Government could take steps to improve the working of the corporations.

Now I come to the incidental charges. They are very high. All the shortcomings in the working of the F.C.I. should be removed. Strict action should be taken against the persons who indulge in corrupt practices.

Shri Ramawatar Shastri (Patna) : It is wrong to create an impression that the F.C.L. is overstaffed. About 945 employees of the F.C.I. are going to be retrenched. There are about 7,000 employees in the F.C.I. who have come on deputation from other departments. At least 1000 employees out of them should be sent back to their parent offices.

There are hundreds of persons engaged in the task of loading and unloading, who are being retrenched. They should not be retrenched.

There is a lot of corruption in the F.C.I. A Parliamentary Committee should be set up to inquire into the working of the F.C.I.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं अनेक माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करता हूं ।

जहां तक भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारण का सम्बन्ध है, 1965 में जबसे इसकी स्थापना हुई है, यह देश की काफी उपयोगी सेवा करता रहा है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके कार्यकरण में कुछ कमियां रही है तथापि समूचे कार्यकरण को देखने से पता चलता है कि इसने देश की काफी सेवा की है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसके कार्यकरण में सुधार किया जाना चाहिए ।

मैं माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस मत से सहमत नहीं हूं गेहूं के ठोक व्यापार को सरकारी अधिकार में लेने के कारण ही भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण असफल हुआ है । वस्तुतः गत वर्षों में यह निगम निर्धारित लक्ष्यों से भी कहीं

[श्री फखरुद्दीन अली अहमद]

अधिक अनाज की वसूली करता रहा है। केवल पिछले वर्ष ही गेहूं की वसूली निर्धारित 81 लाख टन के स्थान पर केवल 45 लाख टन हो पाई जिसक अनक कारण थे जोकि प्राय: सभी को विदित है । परन्तु केवल इसी कारण भारतीय खाद्य निगम को असफल समझ लेना निगम के प्रति अन्याय होगा। कुछ वसूली राज्य सरकारों आदि ने भी करनी थी जो कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण पूरी नहीं हो सकी । अत: अनाज के थोक व्यापार के अधिग्रहण को भारतीय खाद्य निगम की असफलता के साथ संबद्ध करना उचित नहीं है। फिर इस निगम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और आशा है कि भविष्य में भी वह अपना दायित्व पूरा करता रहेगा।

श्री बाजपेयी के अतिरिक्त कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि रख-रखाव अधिकारों में अत्यन्त वृद्धि हुई है और होती जा रही है, परन्तु मैं यह भ्रम दूर करना चाहता हूं। वस्तुत: इस बारे में समाचार-पत्रों में सही स्थिति प्रकाशित नहीं की गई है। रख-रखाव अधिकारों में एक तो वसूली-वितरण, संभारण तथा भण्डाकरण लागत है वस्तुत: इस खर्च में गत वर्षों को तुलना में काफी कमी हुई है । यह खर्च वर्ष 1971-72 में 15.51 रुपये प्रति क्विटल था परन्तु चालू वर्ष 1973-74 में यह खर्च घटकर केवल 13.07 रुपये प्रति क्विटल रह गया है ।

इस प्रकार निगम के रख-रखाव खर्च में कमी होती गई है ।

वितरण खर्च में बफर स्टॉक का लाने ले जाने का खर्च भी शामिल होता है । वसूली खर्च में बोरियाँ क्रय-कर, राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार के रूप में निगम ने वर्ष 1971-72 में 10.81 रुपये की दर से खर्च किया वह अब 1973-74 में भी 10.80 रूपये के दर से ही हुआ है, अतः वसूली खर्च में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। खर्च कम ही किया गया है।

दूसरे, यदि यह पूछा जाये कि निगम कुल खर्चों के लिये इतनी अधिक राशी क्यों मंगाता है तो इसका उत्तर यह है को कमीशन सहित दो रुपये की दर से तो मण्डी अधिभार देना पडता है जिस पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है । इसके अतिरिक्त मण्डी श्रमिक आन्तरिक लदान व रख-रखाव, व्याज, बोरी आदि के खर्च मिलाकर कुल 10.80 रुपये हो जाता है । इन खर्चों में तो कमी करने की गुंजाईश नहीं है ।

वितरण के दौरान भेजन के समय होने वाली हानि, भाडा, गोदाम शुल्क, मोटे प्रशासनिक शुल्क आदि के संबंध में जांच की जा सकती है तथा इसके लिये हमने एक समिति भी नियुक्त की है कि प्रशासनिक खर्च कहां तक कम हो सकते हैं।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं मैं तथा मेरे कनिष्ठ सहयौगी प्रशासनिक खर्च में हर संभव कमी करने को प्रयत्नशील रहते हैं ।

कहा गया है कि बोरियों की कीमत वसूल क्यों नहीं की जाती । हम इस प्रश्न की जांच करेंगे कि वितरण-लागत के संदर्भ में किस सूरत से बोरियों की कीमत वसूल की जा सकती है ।

एक प्रश्न बंबई स्थित भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को फूस देने के बारे में माननीय सदस्य ने उठाया था । वस्तुस्थिति यह थी कि इन में से कुछ ट्रक बोरियां लादने

के लिये सहायक साथ लाया करते थे । परन्तु जब वे नहीं लाये तो पत्तन से ट्रक तक लाने वाले श्रमिकों ने 5 रु० की दर से अतिरिक्त मजूरी मांगी और क्योंकि खाद्य सामग्री की कमी थी और बम्बई सरकार सभी केंद्रों को तुरन्त वितरण करना चाहती थी इस लिय इस कठिनाई से बचने के लिय यह अतिरिक्त मजदूरी देनी पडी । परन्तु जब यह बात हमारी जानकारी में आई तो हमने बम्बई की सरकार से बात चीत करके इस को रुकवा दिया है और यह मजूरी 5 रुपये प्रति ट्रक थी न कि 25 या 35 रुपये जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसू : मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है वह सही नहीं है ....(**व्यवधान**)

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : श्री वाजपेयी ने कहा है कि चिकित्सा-व्यय पर एक करोड रुपय खर्च किये गये। मेरे विचार से 80 या 83 लाख रुपये केवल पश्चिम बंगाल में खर्च हुए। हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं तथा यदि इस में कुछ गडबड पाई गई तो उचित कार्यवाही करेंगे । इसके अलावा हम चिकित्सा खर्च देने संबंधी प्रणाली में भी परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं। इस प्रकार माननीय सदस्य की शिकायत दूर हो जायेगी। इसी प्रकार में श्री बनर्जी द्वारा कानपुर के बारे में की गई शिकायत की जांच करूंगा ।

कहा गया है कि राज्य सरकारों की ओर खाद्य निगम की 234 करोड रुपये की राशि देय है । इस राशि के बार में कुछ भ्रम मालूम होता है । वस्तुस्थिति यह है कि अगस्त में निगम की देय राशि 234 करोड रुपय थी जिसमें से केवल 57 करोड रुपया राज्य सरकारों की ओर था। जो कि उनको की गई सप्लाई के लिये था। शष रुपया केन्द्र सरकार द्वारा राजसहायता का था। निगम अब इस राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही कर रहा है । वस्तुतः यह राशि गत तीन मास तथा इस से पूर्व छः मास पहले की थी। यह सिलसिला चलता रहता है क्योंकि अनेक बार बिल भी देर से भेजे जाते है । हम इस राशि का यथाशीघ्र वसूल करने का प्रयास कर रहे है तथा साथ ही वसूली के तरीक में भी सुधार करने का विचार कर रहे हैं ।

945 कर्मचारियों की छटनी के बार में मैं कहना चाहूंगा कि यह संख्या लगभग 800 है, 945 नहीं। वस्तुतः तो यह संख्या सात सौ से कुछ ऊपर है । इन में से बहुत से कर्मचारी केवल गहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण संबंधी कार्य को करने के लिये भर्ती किये गये थे और वह कार्य पूरा हाने पर उनकी छटनी की जा रही है । साथ ही हमने यह भी निश्चय किया है कि जब कभी भी हम नई भरती करेंगे तब इन्हीं छटनी-शुदा लोगों को प्राथमिकता देंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : जहां जनगणना विभाग के फालतू कर्मचारियों को तो अन्यत्र खपाया जा रहा है वहां इन के लिये ऐसा क्यों नहीं किया जाता ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : फिर प्रतिनियुक्ति पर आये कुछ लोग उस श्रेणी के नहीं हैं जो कि छटनी किये गये हैं ।

जहां तक खाद्यान्नों के वितरण की बात है वह राज्यों का काम हैं निगम खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों के वितरण में हस्तक्षेप नहीं करता है । केवल कुछ राज्यों द्वारा विशेषरूप से अनुरोध किये जाने पर ही हमने इन राज्यों की कुछ सहायता की है । यदि अब

[श्री फखरुद्दीन अली अहमद]

वे राज्य स्वयं इस दायित्व को लेना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर तामिलनाडु में तो हम ने खाद्यान्नों के व्यापार को अपने हाथ में नहीं लिया है। अत: श्री किसतिनन को तो यह प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिये था। इसके अतिरिक्त खाद्य निगम का कार्य निरन्तर बढता ही जा रहा है। इस लिये यदि कुछ राज्य वसूली का भार भी ले लें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हां, इसके लिये उन्हें अपने राज्य की कुल वसूली तथा केंद्रीय भण्डार के लिये अपना नियमित योगदान बतंना होगा। इसके अलावा खाद्य निगम से कमही अनुपात में कर्मचारी भी अपने प्रशासन में लेने होंगे। यदि ये शर्तें पूरी कर तो हमें राज्यों को वसूली करने का दायित्व देने में कोई आपत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि 57,100 निजी चावल मिलों की तुलना में सहकारी मिलों की संख्या केवल 655 है। इस के लिये अब हमारी नीति सहकारी मिलों को प्राथमिकता देने की है तथा कुछ चावल मिल हम सरकारी क्षेत्र में भी खोलना चाहते है। पांचवी योजना में हम चालीस चावल मिल स्थापित करेंगे।

जहां तक चावल में लोहे के तुकडे तथा गहूं मिला देने का प्रश्न है तो मेरे विचार से ऐसी मिलावट करने वाले को कोई लाभ नहीं हो सकता क्योंकि लोहा तो चावल और गेहूं दोनों से महंगा है। फिर भी हमने कुछ शिकायतों की जांच करने पर यह पाया था कि पंजाब तथा हरियाणा के सप्लाई हुए चावलों म लोहे के कुछ तुकडे पाये गये थे परन्तु वे इस लिये कि चावल कि कटाई वहां मशीनी तरकी से होती है संभव है कुछ बहुत छोटे छोटे तुकड़े झडकर चावल में मिल गये होंग। हमने निर्देश दे दिये है कि उपभोक्ताओं को बेचने से पूर्व चावल की सभी प्रकार सफाई की जाय।

Shri Shankar Dayal Singh (Chhatra) : The Food Minister of Maharashtra had alleged that about 400 tons of rice supplied by the F.C.I. contained iron particles and that the said rice was bring withdrawn from the Ration Shops.

Shri A. B. Vajpayee : Iron particles are not possible due to mechanised harvesting.

[**उपाध्यक्ष महोदय पी ासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : हमने जांच की थी और लोहे के तुकडे पाये गये थे अब उपभोक्ताओं के विक्रय से पूर्व उनकी सफाई करने के निर्देश दे दिये गये है। फिर मुझे बताया गया था कि बहुत थोडी मात्रा में लोहे के कण मिले थे। हमारे राज्य मंत्री ने भी कहा है कि वह इस मामले को देख रहे है और इस में रह जाने वाले त्रुटियों को दूर करने का प्रयास कर रहे है। इस संबंद्ध में वह कुछ प्रस्ताव इस सभा के समक्ष भी पेश करेंगे।

यह भी प्रश्न उठाया गया था कि गैर सरकारी व्यक्ति से प्राप्त किये गये बहुत से गोदाम खाली पड़े रहते है। हम इस स्थिति को देख रहे है तथा यह प्रयास कर रहे हैं कि अनावश्यक गोदामों को वापस कर दिया जाये।

सुरक्षा अनुभागों पर खर्च के बार में श्री समर गुहा की आपत्ति थी। एक और तो खाद्यान्न की सुरक्षा तथा संभाल पर जोर देने को कहा जाता है तो दूसरी ओर इस कार्य-वाहियों की आलोचना की जाती है। यह क्या हुआ है? वस्तुत: अनाज की चोरी तथा हानि को रोकने के लिये ही सुरक्षात्मक उपाय किये गये है।

श्री शंकर दयाल सिंह ने कर्मचारियों की जो संख्या 57,000 के लगभग बताई, यह सही नहीं है। यह संख्या केवल 50,522 है। श्री गोस्वामी ने आसाम म एक जोन स्थापित करने का अनुरोध किया है तो हम इस पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल वहा एक क्षत्रीय कार्यालय खोला गया है।

माननीय सदस्यों ने और भी कई महत्वपूर्ण बातें उठाई है। मुझे आशा है कि निगम के नये अध्यक्ष को उनसे पूरा सहयोग मिलेगा जिससे कि निगम का कार्य और बेहतर हो सके।

केद्रीय जांच ब्यूरों के जांचाधीन कुछ मामलों क बारे में यहां प्रश्न उठाया गया था। जिनमें सरसों के तेल तथा दाल के क्रय की बात निहित है। इस संबंध में श्री इकबाल सिंह तथा निगम के दो कमचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र दिया गया है।

मैसर्स भारत स्टार्च केमिकल्स को मस्का के विक्रय के मामल में जांच अपने अन्तिम चरण में है। इसी संबंध में मैसर्स झण्डूमल मोहनलाल तथा कोहिनूर मैनूफैक्चरिंग कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करन के पर्याप्त आधार हैं। इस संबंध में कानूनी राय ली जा रही है।

आसाम को माल भेजने के ठेके देने संबंधी अनियमितताओं संबंधी आरोप निराधार मिले थे. तो भी तत्संबंधी रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई है क्योंकि इस मामले में निगम के कर्मचारी को कार्यलिय के निदेशों को विरुद्ध अदायगी लेते पाया गया था। लकडी की पेटियों की खरीद संबंधी जांच भी अपने अन्तिम चरण में हैं।

इस प्रकार उपरोक्त मामलों की जांच संबंधी स्थिति आपके सामने है।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : This discussion has proved very useful We hope that the Food Corporation would improve its working and carry out its responsibility in a better way.

Why can not the Government entrust the job of handling sugar to Food Corporation ? What is the necessity of doing this job at departmental level? The number of officers is on the increase where the employees are being retrenched.

There are a number of complaints against corruption. These employees who keep in bringing the eight cases of corruption should be encouraged. Also, the employees should be taken into confidence for reduction of expenditure.

I wish that the hon. Minister should consider the matter of retrenchment. Efforts should be made to absorb the retrenched personnels. Loss worth crores of rupees is being incurred in the affairs of gunny bags.

लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल के बारे नें
RE STRIKE BY LOCO RUNNING EMPLOYEES

रेल मंत्री : (श्री एल० एल० मिश्र) मैंने 17-12-1973 को सदन में वक्तव्य देते हुए यह बताया था कि लोको रनिंग कर्मचारी किन परिस्थितियों में दिसम्बर, 1973 में हडताल कर रहे हैं, बावजूद इस तथ्य के कि रेल उप मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति अभी काम कर रही है और विचार विमर्श जारी है। मैं सदन में यह भी घोषणा कर चुका हूं कि रेलों में रनिंग कर्माचरियों की 10 घंटे की ड्यूटी पर अमल शुरू हो चुका है और इस काम को चरणबद्ध रूप में तीन

[श्री एल० एन० मिश्र]

वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जायेगा । लोको कर्मचारियों को दिये गये अन्य सभी आश्वासनों को भी पूरा किया जा चुका है ।

मैं कई बार यह भी कह चुका हूं कि यदि किन्हीं व्यक्तिगत शिकायतों को दूर नहीं किया जा सका है, तो उन्हें मेरे ध्यान में लाया जाना चाहिए और मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी ओर ध्यान दूंगा । यह स्थिति आज भी विद्यमान है । इन परिस्थितियों में हड़ताल करने और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को अपूरणीय क्षति पहुंचाने और लोगों को अत्यधिक असुविधा में डालने का निश्चित रूप से कोई कारण नहीं है ।

जहां तक 10 घंटे की डयूटी का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगस्त 1973 म समझौता यह किया गया था कि 10 घंटे की डयूटी को किस रूप में और किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में रेल उप मंत्री को अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा, और 6 सप्ताह के भीतर ब्यौरा तैयार कर लिया जायेगा । विषय की जटिलता और सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष दोनों के दृष्टिकोण में अत्यधिक अन्तर होने के कारण समिति 6 सप्ताह के भीतर इस विषय पर अपना विचार विमर्श पूरा नहीं कर सकी । वास्तव में, कर्मचारी पक्ष इस सम्बन्ध में ब्यौरा देने के लिए और समय चाहता था कि 10 घंटे की डयूटी लागू करने के निर्णय पर 4 से 5 वर्षों से भी कम समय में किस प्रकार अमल किया जा सकता है । 10 घंटे की डयूट लागू करने में निम्नलिखित बातें निहित हैं :—

(1) लगभग 20,000 अतिरिक्त लोको रनिंग कर्मचारियों की भरती और प्रशिक्षण;

(2) बडी संख्या में अतिरिक्त रनिंग कमरों का निर्माण तथा वर्तमान रनिंग कमरों की क्षमता में वृद्धि;

(3) रनिंग कर्मचारियों के लिए लगभग 10,000 अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण; और

(4) रेल इंजनों की वर्तमान चालन दूरी के बीच मध्यवर्ती स्टेशनों पर कर्मी दल को बदलने की सुविधा उपलब्ध करने के लिए बहुत से स्टेशनों पर अतिरिक्त लूप लाइन का निर्माण और लाइन क्षमता सम्बन्धी निर्माण कार्य ।

अनुमान है कि इन सब निर्माण कार्यों की कुल लागत लगभग 38 करोड़ रुपये आयेगी। यह स्पष्ट है कि इन भौतिक परिसम्पतियों के बड़े पैमाने पर विस्तार और निर्माण तथा भारी संख्या में कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कम से कम तीन से चार वर्ष का समय लगेगा । दूसरी ओर रनिंग कर्मचारी पक्ष की यह धारणा है कि इसे 90 दिन में कार्यान्वित किया जा सकता है ।

सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही मैंने संसद में यह घोषित किया था कि 10 घंटे डयूटी का कार्यान्वियन चरणबद्ध आधार पर 1 दिसबर, 1973 से लेकर तीन वर्ष में पूरा कर दिया जायेगा। वास्तव में, इस आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं। मेरे इस आश्वासन के बावजूद पश्चिम रेलवे के रनिंग कर्मचारियों ने 26 नवम्बर, 1973 से हड़ताल शुरू कर दी जिसका स्पष्ट उद्देश्य कुरेशी समिति पर जिसकी बैठक 29 नवम्बर, 1973 को होने वाली थी, दबाव डालना था। यह हड़ताल गांधीधाम, आबू रोड, बड़ौदा, कांकरिया, अहमदाबाद, गोधरा, रतलाम, कोटा और

ंगःपुर सिटी में सुरू हुई। अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, इच्छुक कर्मचारियों और प्रादेशिक सेन की टुकडियों की सहायता से लगभग 80 प्रतिशत माल यातायात और कोयला तथा पेट्रो लियमजन्य पदार्थों की समूची अनिवार्य सप्लाई का संचलन संभव हो पाया है। हड़ताली कर्मचारियों ने काम पर वापस आना शुरू कर दिया है और अब तक 40 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी काम पर वापस आ चुके है।

ऐसे समय जब कि पश्चिम रेलवे पर हड़ताल समाप्त होने वाली थी, तभी 15 दिसम्बर 1973 की शाम को उत्तर रेलवे के लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग ने दिल्ली क्षेत्र में अचानक हड़ताल कर दी और वह 16 और 17 तारीख की शाम तक लखनउ, कानपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद, तंडला और विकानेर मंडल के कुछ स्थानों में फैल गयी। यद्यपि आरम्भ मे दिल्ली क्षेत्र में कर्मचारियों की अनुपस्थिति 75 प्रतिशत से भी अधिक थी, फिर भी उत्तर रेलवे पर चलायी गयी माल गाडियों की संख्या 18 दिसम्बर को चलायी गयी 149 मालगाड़ियों से बढ़ कर 19 तारीख को 205, 20 तारीख को 206 और 21 तारीख को 228 हो गयी।

कानपुर और गाजियाबाद के बीच भी, जो कि एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, मालगाडियों के संचलन में सुधार हुआ है। दिल्ली क्षेत्र मे प्रादेशिक सेना की 3 परिचालन कम्पनियां काम कर रही है। बिजली घरों को कोयले की सप्लाई जारी रखी गयी है और दिल्ली को आने वाली पत्थर के कोयले की गाड़ियां प्राथमिकता के आधार पर चल रही है। दिल्ली और मुगलसराय के बीच मालगाड़ियों के चलने में भी सुधार हुआ है। दिल्ली क्षेत्र में आने वाले पेट्रोलजन्य पदार्थों का संचलन भी पर्याप्त मात्रा में रहा है। घरेलू उपयोग के लिए पत्थर के कोयले से लदे 120 माल डिब्बे दिल्ली पहुंच गये है और उन्हें खाली करने के लिए यथास्थान लगा दिया गया है। अगले दो दिन में दो और मालगाडियां जिनमें 130 डिब्बे लगे है दिल्ली पहुंचने वाली है। इस्पात कारखानों को कोयला और कच्चे लोहे की सप्लाई भी संतोषजमक स्तर तक रखी जा रही है।

18 दिसम्बर को मध्य रेलवे के कुछ इंजन शेडों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति शुरू हो गयी थी परन्तु कल से इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुआ है — विभिन्न स्थानों पर और अधिक कर्मचारी काम पर लौट आये है। मालगाडियों के संचलन में काफी सुधार हुआ है। मध्य भारत कोयला खानों से पश्चिमी भारत के लिए कोयले का संचलन संतोषजनक मात्रा में रखा गया है।

चार दिन पहले दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ स्थानों पर कुछ गेंगमैनों तथा यार्ड कर्मचारियों ने आन्दोलन शुरू कर दिया था लेकिन इसे परसों वापस ले लिया गया है। इसी प्रकार खड़गपुर में चावल के राशन के लिए किया गया आन्दोलन पिछली रात को समाप्त कर दिया गया और सभी परिचालन कर्मचारी वापिस काम पर आ गये है।

प्रभावित खंडों पर सभी आवश्यक वस्तुओं का संचलन चालू रखा गया है।

लोको कर्मचारियों की इस गैर-कानूनी हड़ताल से अधिक से अधिक कुल मिलाकर 25 प्रतिशत डिविजनों पर दुष्प्रभाव पड़ा है और वह भी 9 रेलों में से केवल चार पर। अन्य रेलों पर कार्य सामान्य रूप से चालू था। मैं इस अवसर पर, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई चालू रखने में सभी रेल कर्मचारियों द्वारा किये गये निष्ठापूर्ण एवं कठिन परिश्रम की विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहता हूं। उनकी निष्ठापूर्ण सेवाओं को मान्यता दी जायेगी।

[श्री एल० एन० मिश्र]

लोको रनिंग कर्मचारी संघ एक कोटिवार यूनियन है और भारतीय रेलों पर इस प्रकार की 700 कोटियां है । मैं संसद् में पहले ही बता चुका हूं कि कोटिवार समूहों को मान्यता देना और उन्हें बातचीत की सुविधाएं प्रदान करना सम्भव नहीं है । विभिन्न कोटियों के लिए परिलब्धियों एवं पदोन्नती सारणियों में कुछ सापेक्षता है और आन्दोलन के फलस्वरूप यदि एक कोटि को कोई लाभ मिल जाता है तो उससे अन्य कोटियां के संबंध में संतुलन बिगड जाता है और उससे और अधिक आन्दोलन होता है । विशेषत: इसी कारण से कोटिवार संघ रेल प्रणाली के लिए बहुत ही हानिकारक है । 19 तारीख को टेलीवीजन और रेडियो पर वार्ता के दौरान मैंने स्पष्ट कर दिया है कि इस हडताल का कोई औचित्य नहीं है और मैंने सभी अनुपस्थित्त कर्मचारियों को कामपर आने का आवाहन किया है । कर्मचारियों की विभिन्न बस्तियां में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके काम पर वापस आने के लिए अपील भी की गयी है । दिल्ली क्षेत्र में इस अनुचित हडताल के विरुद्ध जनता द्वारा प्रदर्शन भी किये गय है । इसकी प्रतिक्रिया हुई है और दिल्ली क्षेत्र तथा मध्य रेलवे के कुछ अनुपस्थित कर्मचारियों ने काम पर वापिस आना प्रारंभ भी कर दिया है ।

मैंने दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशन के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की और उन पर रेलों में सामान्य स्थिति फिर से लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। लोको कर्मचारियों की हडताल गैर-कानूनी है और विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि कुरेशी समिति द्वारा बात-चीत जारी है । ऐसी परिस्थिति में जो कर्मचारी अपनी डयूटी से अनुपस्थित है, उन्हें अपने गैर-कानूनी काम के परिणामों के अनिवार्यत: भुगतना होगा । स्वभावत: कानून अपने ढंग से काम करेगा।

मैंने सदन के सभी पक्षों से तथा जनता से भी सहयोग की मांग की है कि वे रेल कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा असंवधानिक और समाज-विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने में सहायना दे। वास्तव में मेरे लिए यह समझ पाना कठिन है कि वह कारण क्या है जिससे उन्हें बिना किसी वैध कारण के इस तरह के सीधी कार्रवाई कासहारा लेना पडा— विशेषत: ऐसी स्थिति में जब कि कुरेशी समिति की बैठक, उन्हीं की सहमति से 17 जनवरी, 1974 को होनी निश्चित की गयी है । यदि लोको कर्मचारी चाहे तो वह बैठक कुछ पहले बुलायी जा सकती है । वे जिन विषयों पर बातचीत करना चाहते है और जिनका निपटारा चाहते है, उन्हें बैठक में सुलझाया जा सकता है । इस समिति को सभी संबंधित मामलों का निपटारा करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है ।

जैसा कि मैंने 17 दिसम्बर, 1973 को पूरक मांगों पर बहस के दौरान सदन में कहा था, मैंने यह विनिश्चिय किया है कि 21 जनवरी, 1974 को रेलवे की दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशनों तथा श्रमिकों के अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाऊं।

मैं सदन का ध्यान प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने इस हडताल को अनुचित बताया है और यह भी कहा है कि इसके कारण जनता को बहुत परेशानी हो रही है । अत: हडताल करने वाले कर्मचारियों से मैं एक बार फिर यह कह देगा चाहूंगा कि अपने निजी हित तथा राष्ट्र के बृहतर हित को देखते हुए ड्यूटी पर तत्काल आने की आवश्यकता को वे समझे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर देता हूं। मंत्री महोदय बाद में सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दें।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार ने इस मामले पर उचित रवैया नहीं अपनाया है । इस पर हमारी प्रतिक्रिया यह है कि सरकार फैसला करना नहीं चाहती है अपितु आन्दोलन को दबाने के पक्ष में है ।

क्या मंत्री महोदय को लोको रनिंग एम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रतिनिधि 1 दिसम्बर और 5 दिसम्बर मिले नहीं थे तथा उन्होंने अपनी शिकायतें उन्हें नहीं दी थी ? क्या उनके ज्ञापन में यह नहीं कहा गया कि करारों को कार्यान्वित नहीं किया गया । मैंने स्वयं रेल मंत्री से बातचीत करने के लिये आग्रह किया था ।

मंत्री महोदय केवल इस सदन का ही नहीं अपितु सारे देश को गुमराह कर रहे हैं । उन्होंनें किसी भी यूनियन को बातचीत का अधिकार नहीं दिया जबकि करार में इसके लिये व्यवस्था है ।

दस घंटे के कार्य के समय की क्रियान्विति के लिये ज्ञापन में कुछ सुझाव दिये गये हैं । सरकार ने इसे क्रमशः तीन वर्ष में क्रियान्वित करने की बात कही है जबकि कर्मचारियों के नेताओं ने सिद्ध किया है कि इन सुझावों को 3 महीने में क्रियान्वित किया जा सकता है ।

इन सब बातों के बावजूद मंत्री महोदय कह रहे है कि करार क्रियान्वित हो रहा है । कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है । यह संघर्ष लोको कर्मचारियों पर सोपा गया है । इसके लिये मंत्री महोदय सबके उत्तरदायी है ।

समाचार पत्रों में छपा है कि श्रम मंत्री की लोको कर्मचारियों के साथ कुछ बातों पर बातचीत हो रही है । परन्तु वक्तव्य में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया । करार के बार में मंत्री महोदय का क्या रवैया है ?

Shri Damodar Pandey (Hazari Bagh) : I would like to know whether this strike was a calculated more either by certain political parties or by those who could not get representations in the two Federations of Railway employees for meeting their design and also bringing about disunity and weakness among the railway employees I have come to know that 100 rupee notes were distributed by certain political elemennts to causing category-wise strikes in different regions and divisions. I have reasons to believ that these strikes were politically motivated and meant only to create disunity among loco-men. The Government should not, therefore, negotiate with them.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Both the parties wish that there should be no strikes. I would like the hon. Minister to clarify a few points. On 21st January, he had said that although he did not as a principle recognise the categorywise unions but with a purpose to settle the issues and disputes once for all he would invite them also alongwith the two federations. Secondly, despite assurances, cases against certain persons on Western Railways have not yet been withdrawn and their leader has sent a memoranDum to the hon-Minister.

Thirdly, I have come to know that when their President came there the hon. Minister of Labour invited him for negotiations. I do not know whether it is true or not but their President gave a statement to the effect that he was prepared for an agreement. Now, since it is beyond the competency of the two Federations to run the trains smoothly; may I know whether the hon. Minister of Labour has still left the doors open for negotiations so as to reach an agreement and end the strike? Otherwise people would think that the Govt. themselves do not want to talk. If the strike spreads all over the country, it would not benefit either me or him. May I know wherher the Labour Minister is prepared to intervene or not? What is the hurdle in between?

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : रेल मंत्री महोदय के वक्तव्य के आधार तथा अपनी जानकारी के अनुसार मुझे तो इस हडताल का कोई कारण नजर नहीं आता है । कुछ मांगे तो स्वीकार हो चुकी है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांग काम के घंटों को घटाने की है। उस पर भी पहली दिसबम्र से क्रियान्विती आरंभ हो गई हैं । सभी आश्वासनों को पूरा करने तथा उनकी महत्वपूर्ण मांगों पर क्रियान्विति आरंभ करने पर भी . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री ए० पी० शर्मा : मैंने पांच प्रश्न पुछे है । पहला यह कि बात चीत के लिय सुझाव कैसे दिया जाये ? बात चीत के होते समय हडताल क्यों हो ? फिर जब रेलवे बोड तथा रेल मंत्रालय और कर्मचारियों मे बातचीत चल रही हो तो श्रम मंत्री के बीच में हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता पैदा होती है ? उन्हें हस्तक्षेप का अधिकार किसने दिया ? जब कर्मचारी पक्ष अपने आश्वासन तोडता है तो फिर रेल मंत्री भी अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं । वह कुरेशी समिति भंग कर दे । वस्तुतः यह हडताल भी तब तक जारी है जब तक कि सरकार कर्मचारियों के साथ बीतचीत कर रही हैं ।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि काम करने के इच्छुक कर्मचारियों को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है ? मेरा अगला प्रश्न यह है कि जो लोग इन 70,000 हडताली लोको कर्मचारियों का पक्ष लेते है वे शेष 2 लाख रेल कर्मचारियों के बारे मे क्या सोच रहे है ? जब वे मुट्ठी भर लोग सभी को परेशानी में डाल रहे है या रेल प्रणाली को अस्त व्यस्त कर रहे है तो मंत्री महोदय रेल व्यवस्था को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाने का इरादा रखत है ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि जब रेल कर्मचारियों ने स्वयं ही अपने मामले निपटाने का निश्चय किया है तो फिर साम्यवादी, जन संघ आदि राजनैतिक दल इस संबंध में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे है ? इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने कहा है कि इस हडताल के कारण केवल अगस्त मास में लगभग 14 करोड रुपये की हानि हो चुकी है । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कुल कितनी हानि हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have not been able to decide as to what is the truth behind this dispute. The hon. Minister of Railways says that he has fulfilled all the assurances but the facts put forth me by the President of the Railway employees Shr Ratan do not confirm to what the hon. Minister has said. They say that many employees have been dismissed although no victimisation was assured. Cases against certain employees have also not been withdrawn and those persons are not guilty of violence. But the State Government concerned are not prepared to withdraw the cases. Now is it that the Central Government is not potent enough to ask these State Governments to withdraw such cases?

Thirdly, the representatives of the loco-men are not treated on duty when they are called by the Qureshi Committee for talks. You should give them negotiating facilities. Such things excite the loco-men and that create obstacles in the efforts of bringing the strike to an end.

Shri Mohd. Jamil Rehman (Kishanganj) : May I know whether a quarre between two wives resulted in the strike in Railways thereby causing a loss of lakhs of rupees to Railways and also great difficulties to the people? If so, let the hon. Minister suggest remedies for non-recurrence of such incidents.

Secondly, what protection is being given to loyal workers. And thirdly whether leaders of the striking employees were invited for negotiations or whether the hon. Minister of Labour was authorised to negotiate? If not, whether the talks have been initiated. Such leniency would encourage the employees and the strike would not end, and our masses would continue to suffer.

I would like to the above points to be clarified.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगस्त में हुए करार में यह आश्वासन भी थे कि सभी अदालती मामल वापस ल लिय जायेंग तथा किस प्रकार का शोषण नहीं किया जायगा। अब चार महीने हो चुके है। क्या यह सच है कि विशेषकर पश्चिम रेलवे में लगभग 300 मामले है जिन्हें राज्य सरकारों ने वापस नहीं लिया है यदि हां, तो ये मामले क्यों वापस नहीं लिये गये तथा उन्हें तुरन्त वापस लेने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या यह सच नहीं है कि अगस्त की हडताल के बाद भी पद में अवनति करने, उन्नतियों को रोकने, दण्डार्थ स्थानान्तरण, नय आरोप लगाने, आदि के मामले हुए है और यही कारण है कि स्थिति बार बार बिगडती जाती है।

मंत्री महोदय ने कहा था कि वह श्रेणीवार संगठनों को मान्यता देने को तैयार नहीं है। मैं भी अखिल भारतीय रेलवे फेडरेशन से संबद्ध एक मान्यता प्राप्त संघ का अध्यक्ष हूं जिसने सरकार से मांन्यता नहीं मगर बातचीत करने का माध्यम प्रदान करने के लिये कहा था। आखिर ये लोग भी तो रेल मंत्रालय के ही कर्मचारी है। क्या सरकार की यह नीति है कि क्यों कि सरकार किसी संघ को मान्यता नही देती है तो उससे सम्बद्ध कर्मचारियों की शिकायतें भी नही सुनेगी? आप मान्यता न दें मगर उनकी शिकायतें सुने तथा उन्हें दूर करन का प्रयास करें। तो क्या आप उन कर्मचारियों के नताओं को (जो कि इस समय देहली ही में है) बातचीत करने का अवसर देंगे ताकि यह समस्या सुलझे? मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में आप क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार की नीति तथा श्रम कानूनों के अन्तर्गत केवल मान्यत प्राप्त संगठनों और सरकार के मध्य ही करार हो सकते है? तो फिर पिछला करार किस नीति, किस सिद्धांत, नियम या कानून के तहत हुआ था? उस समय ी अवैध हड़ताल आज फिर हो रही है। वह एक करार भी सर्वथा अवैध तथा गैर कानूनी था। फिर क्या उस करार में यह शर्त थी कि तीन वर्ष तक हडताल नहीं होगी। यदि ऐसा था तो फिर यह हडताल कैसे की और श्रम मंत्री किन आधारों पर बातचीत कर रहे हैं? अब इन बात चीत में श्रम मंत्रालय एक पक्ष है या कि रेल मंत्रालय? मैं जानना चाहता हूं कि वे लोग कोन है जो बात चीत करने के बहाने यहां दिल्ली में चक्कर लगा रहे है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह अवैध हडताल चलने क्यों दी जा रही है जिसके फल स्वरूप सारे राष्ट्र को कठिनाई तथा भारी हानि हो रही है?

श्री रतना सभापति ने लोको कर्मचारियों से हडताल करने के लिये कहा है जिससे पूरे देश में लोगों को कठिनाइयां होगी और इसके उपरान्त भी उन्हें रेल मंत्री से बात चीत करने के लियें विमान से आने के लिये कहा गया है। तीसरे जो लोग काम पर आना चाहते है उनकी सुरक्षा के लिये सरकार के ने क्या कदम उठायें है। सरकार के भारत सुरक्षा अधिनियम का क्या हुआ। गैर कानूनी हडताली खुले रूप में दिल्ली में घूम रहें हैं।

[श्री भागवत झा आजाद]

हम सरकार की पूरी तरह से समर्थन करने के लिये तैयार है परन्तु सरकार को अपने सिद्धान्तों, श्रमिक नियमों, परम्पराओं और कानूनों पर दृढ रहना चाहिये ।

श्री था० किरुतीनन (शिवगंज) : आल इन्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा कितने मामले समिति को भेजे गये और अब तक कितने मामले वापस ले लिये गये है ?

दूसरे समझोते में यह बात मानी गयी है कि कार्य के घन्टों को 14 से कम करके 10 कर दिया जाये और इसके लिये 6 सप्ताह में प्रक्रिया बना ली जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि घन्टे कार्य की बात को क्रियान्वित करन के लिये क्या प्रक्रिया बनाई गई है। मंत्री महोदय ने विवरण में कहा है कि 10 घन्टे कार्य की बात को चार वर्ष में क्रियान्वित किया जायेगा, क्या इस सम्बन्ध में कुरेशी समिति तथा आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बिच कोई समझोता हुआ है और यदि नहीं तो क्यों? क्या एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को समझोते पर हस्ताक्षर करने के लिये यह करार बाध्य किया जा रहा है कि यदि वे समझोते पर हस्ताक्षर करेंगे तो भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मामले वापस लिये जा सकेंगे ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : May I know how the hon. Minister enter into negotiations with the representative of the Association when one of the Minister has declared the strike illegal? Hon. Prime Minister should reply to it as to how the Minister can make negotiations with the loco running staff Association representatives when the strike has been declared illegal.

The anti social elements and the reactionary forces in the country are trying to paralyse the economy of the country and they are taking the nation to ransom. The Government should take stringent measures to deal with the situation they should not show any sort of relaxation in this regard. (*Interruptions*) The hon. Minister should not invite representatives of the Association but should enter into direct negotiations with the locomen. Besides this the government should take a decision to ban the strikes until the goal of self-reliance is achieved.

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : हडताल का मामला शीघ्रातिशीघ्र सुलझाया जाना चाहिये। यह सब कठिनाइयां अगस्त में हुए समझोते को कार्य रूप देने में विलम्ब के कारण पैदा हुई है । मंत्री महोदय ने विवरण में यह नहीं बताया है कि इस झगडे को समाप्त करने के लिये वह क्या कार्यवाही करेंगे ।

श्री मोइनुलहक चौधरी (धुबरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रो० मुखर्जी ने हमें जंगली और नृशंस कहा है ...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं सुना है।

श्री मोइनुलहक चौधरी : उन्होंने कहा है । क्या यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने नहीं सुना है **(व्यवधान)** कृपया शान्ति रखिये। जब कार्यवाही वृतांत मेरे सामने आयेगा तब मैं देखूंगा कि क्या कोई ऐसे शब्द रहे गये है ? श्री कल्याणसुन्दरम।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : तामिलनाडु तथा केरल में कर्मचारियों के विरुद्ध मामले वापस नहीं लिये गये है । इसमें इतना समय क्यों लगता है । मंत्री महोदय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात चीत करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे है ? बात चीत करके कोई समझोता किया जाना चाहिये ।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विषय पर एक घन्टे से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। हमारे सामने अभी दो महत्वपूर्ण विषय वाद-विवाद के लिये शेष है। इस सम्बन्ध में क्या किया जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से महत्वपूर्ण मामले सामने आ रहे है। विशेषाधिकार के प्रश्न पर गृह मंत्री का वक्तव्य तथा कोका–कोला आदि का मामला सामने हैं। यदि आप आधी रात तक बैठना चाहते है तो सभी विषय पूरे हो सकते है।

श्री शंकरदयाल सिंह : हम मध्याह्न पश्चात 6 बजे के बाद नहीं बैठ सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सदन का समय बढ़ाया जाना चाहिये।

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : May I know the number of the loco employees who have been arrested and are in jail at present and whether the quarters in which they were residing have been got vacated?

May I also know whether the hon. Member has sought any help from Shri Hanumanthaiya in this regard or not?

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : क्या यह सच नहीं है कि मंत्री महोदय ने 17 दिसम्बर 1973 को अपने एक वक्तव्य में कहा था कि एक बैठक बुलायी जायेगी जिसमें दोनों रेल फैडरेशन्स के तथा आल इन्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, यदि ऐसा है तो मंत्री महोदय के आज के वक्तव्य से तो ये मत प्रतीत नहीं होता है कि लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा। क्या मंत्री महोदय अपने पिछले आश्वासन से नहीं हट रहे है ?

श्री बी० वी० नायर (कनारा) : क्या कुछ कर्मचारी हड़ताल पर जाने के ही इच्छुक रहते है और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को सेवा से क्यों नहीं निकाला दिया जाता ?

दूसरे, सार्वजनिक क्षेत्र में रेलवे, एयरलाइन्स, डाक सेवा आदि कुछ ऐसी सेवायें है जिनकी कोई वकल्पिक सेवा उपलब्ध नहीं है और वैकल्पिक सेवा न होने से जनता को काफी परेशानी होती है। तीसरे, क्या इन सेवाओं से सम्बन्धित लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिये विपक्ष के नेताओं से परामर्श किया गया है ? क्या कोई वैकल्पिक सेवा स्थापित की जायेगी ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Will the hon. Minister state the names of the State Governments which have withdrawn cases pending against the railway employees? Is there any proposal to invite the representatives of category wise unions to the conference convened on the 21st ? What is the difficulty in having departmental unions in Railways when they are there in the P & T? The Minister has repeatedly stated that there should be only one union in Railways. What is the proposal under which one union is to be formed? Is it also a fact that some persons in the Railway Board and the labour leaders want to abolish Qureshi Committee?

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Will the Railway Minister tell us the justification for starting negotiations with the striking workers until they call off their illegal strike unconditionally? Who is responsible for not fulfilling the assurances given to workers?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : सभी विवाद को निपटाने के पक्ष में है और हम चाहत है कि औद्योगिक शांति स्थापित हो तथा गाडियां चलें।

कहा गया है कि लोको कर्मचारी मुझे मिले है तथा मुझे कोई ज्ञापन दिया है । यह सच है कि वे मुझसे मिले हैं और मुझे ज्ञापन दिया है । मैं ज्ञापन पर विचार कर रहा हूं।

जहां तक उत्पीड़न का सम्बन्ध है, यदि कोई अन्य मामला है उसके लिये कुरेशी समिति है और जो भी निर्णय लिया जायेगा वह रेलों पर तथा मजदूरों पर लागू होगा और यही स्थिति बनी हुई है । यदि अधिक मामले है तो सदस्य उन्हें मुझे भेज सकते है और मैं उनकी जांच करूंगा । सन्मान की कोई बात नहीं है । हम मजदूरों की सहायता करना चाहते हैं और हमारी ओर से उत्पीडन की कोई बात नहीं है । हम अपने मजदूरों को सताना नहीं चाहते हैं यह बात ठीक है कि उन्हें किसी ने गुमराह किया है । मुझे आशा है कि वे सिर्फ अपने काम पर वापस चले आयेंगे।

पूछा गया है कि लोको कर्मचारियों की श्रम मंत्री से मुलाकात की क्या स्थिति है । यह भी कहा गया है कि रेल मंत्री उनसे मिलना नहीं चाहते है । मैंने किसी से भी मिलने से इनकार नहीं किया है । मैं किसी से भी, जो मेरे पास आये, मिलने के लिये तैयार हूं।

Question has been asked about the list. The list has been referred to the Qureshi Committee. The decisions of the Committee will be acceptable to the Government. It is hoped that the locomen will be satisfied.

The Labour Minister is also making efforts in this connection. As a matter of fact the entire Govt. functions as one unit.

It is correct that strike is politically motivated (*Interruptions*). References has also been made about the conference to be held on the 21st January. The representatives of both the recognised unions will take part in the conference. We are opening a new chapter in the industrial relations in the railways. That conference will help in finding a solution to the problem. An agreement which was arrived at, worked for a few days and there was again some trouble. Recently there was an agreement with locomen. In spite of that agreement they resorted to strike in May, again in August and now again in December the country will not tolerate such things. It is necessary to formulate a concrete labour policy.

A meeting of Qureshi Committee has been fixed for 17th. We suggested 2nd January for the meeting to thrash out the matters which have arisen during the course of strike.

The question of protection to the loyal workers is very important. The loyal workers are obstructed from attending their duties. It is not proper. These workers have to be given protection. Any worker victimising loyal workers will be immediately arrested.

It is said that the strike is illegal. It is our aim that the strike should end soon. We want to have a concilliatry attitude in this matter. We want peace.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : The antisocial elements should be dealt with severely.

Shri L. N. Misra : Shri Tiwary is recollecting the days of youth... (*Interruptions*).

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि रेल मंत्री उनसे क्यों नहीं मिलते । मुझे उनसे मिलकर अति प्रसन्नता होगी । वे मुझ से समय निश्चित कर सकते है । मुझे उन्हे मिलन में कोई आपत्ति नहीं ।

In reply to the point raised by Shri Shukla, I do not remember the exact figure, but I think 70 or 80 persons have been arrested. So far as the point raised by Shri Halder it is not possible to invite representatives of all the 29 categories to have any fruitful discussion. Any serious discussion can be held with two recognised federations, 3-4 Central trade unions organisations and the active workers in this field. We have no objection to it. (*Interruptions*).

The main point is that they have gone on strike without giving any notice. It is highly unfair on their part. According to rules they should have given a 15 days' notice but unfortunately we did not get any notice even for 48 hours of strike. I realise the difficulties caused to the people by this sudden dislocation in railway service. But we have tried our level best to maintain the supply of essential commodities. We have diverted the man power from passenger trains to goods trains to ensure movement of essential goods like food grains. I would like to appeal the people of our country to pursuade the Railway employees to return to their duty. I would also like to tell them that their genuine demands of the workers would be acceded to. We would implement the elveen point formula.

So far as the delay in implementation is concerned, I would like to assure you that all the assurances given by the Government would certainly be fulfilled. Qureshi Commitee has been appointed and it would take a month or two. I suggest that this strike should be called off unconditionally.

Shri Indrajit Gupta has held us to a great extent. As all of us know day before last rice was not available in Calcutta. But now we have sent 150-200 wagons full of rice there.

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सेवक समाज के चेयरमैन श्री गुलजारीलाल नन्दा द्वारा दिये गये लेखों के विवरण को कृषि मंत्री सभा पटल पर रख सकते है । आज मध्याह्न पूर्व कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सभा पटल पर कुछ पत्र रखे थे जिनमें श्री जी० एल० नन्दा का उल्लेख था ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Why is it not given to the Enquiry Commission. The commission has submitted its report.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने मुझसे इसकी अनुमति मांगी थी...

श्री श्याम नंदन मिश्र (बेगुसराय) : यह नहीं हो सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हार्बर) : महोदय । स्वयं आप को ज्ञात नहीं है कि ये पत्र भारत सेवक समाज के जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सम्बन्धित है अथवा कपूर आयोग से इस स्थिति में माननीय सदस्यों की आलोचना करना अध्यक्षपीठ को शोभनीय नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I rise on a point of order. Serious charges were levelled against Bharat Sewak Samaj. Kapoor Commission was appointed to look into the charges. How the Report of the Commission and the decision taken by the Government on it have been laid on the Table. What is the idea of laying the statement of accounts given by Shri Nanda on the Table ? If there were some accounts to be included in the report, they should be submitted to the Commission. How did you permit the hon. Minister to do so now ? At this stage the statement of accounts can not be treated as a part of the report.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, May I know the rule under which the statement of accounts pertaining to a private member is sought to be laid on the Table ? I strongly oppose this move.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : भारत सेवक समाज की गतिविधियों तथा कार्यकलापों की कपूर आयोग ने जांच की है । आयोग का प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा जा चुका है । अब

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

सरकार भारत सेवक समाज के चेयरमैन के लेखें का विवरण सभा पटल पर रखना चाहती है। पता नहीं सरकार और भारत सेवक समाज के चेयरमैन में कोई सांठगांठ भी हो सकती है। सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज का प्रभाव समाप्त करने के लिये अब इस विवरण को सभा पटल पर रखा जा रहा है। हम इसकी अनुमती नहीं दे सकते।

दूसरा प्रश्न यह है कि एक गैर सरकारी सदस्य से संबंधित इस दस्तावेज को किस नियम के तरह सभा पटल पर रखे आने की अनुमति दी जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं। आइटम में लिखा है :

> "प्रो० शेरसिंह भारत सेवक समाज के कार्यकरण के बार में जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन सभा पटल पर रखें।"

वे पत्र सभा पटल पर रख दिये गये। निदेश संख्या 116(3) के अनुसार मंत्रालयों को सामान्यतः दो दिन पहले ऐसे पत्र भेजने होते है। किन्तु विशेष परिस्थितियों में मंत्री अध्यक्ष से यह अनुरोध कर सकते है कि उन्हें अल्प सूचना पर सभा पटल पर कोई पत्र रखने की अनुमति दी जाए। मैं स्वीकार करता हूं कि यह पत्र न जांच आयोग के प्रतिवदन का भाग है और न ज्ञापन का भाग है। किन्तु यह पत्र मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

श्री मधु लिमये : किन्तु यह भ्रामक परिस्थिति मे क्यों किया गया है ?

यदि श्री नंदा स्वयं इस पत्र को सभा पटल पर रखते तो अधिक उपयुक्त होता।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है। मैं आप के सामने तथ्य रख रहा हूं ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होने क्या लिखा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने लिखा है :

> "मैं आपकी अनुमति से श्री जी० एल० नन्दा, संसद सदस्य से प्राते पत्र और उसके साथ संलग्न लेखा विवरण सभा पटल पर रखता हूं।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) **:** उस पर हस्ताक्षर किसने किये है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फखरुद्दीन अली अहमद; मंत्री ने किये है।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं आपके समक्ष इसे इस प्रकार रख रहा हूं। मैं कोई निर्णय नहीं ले रहा हूं।

माननीय सदस्य इस पर किसी दिन चर्चा कर सकते है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) **:** क्या ये लेखे उस अवधि के है जब कपूर आयोग ने जांच की थी या उससे बाद की किसी अवधि के लिय है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। यह पत्र सरकारी नहीं है।

श्री नन्दा ने मुझे लिखा कि मैं ने इस पत्र को सभा पटल पर रखने के लिये अध्यक्ष महोदय की अनुमति ले ली है और क्या आप इसे सभा पटल पर रखेंगे? अत: मैंने अनुमति ले ली।

उपाध्यक्ष महोदय : गहराई से इसकी जांच किये बिना निर्णय करना कठिन है अत: मैं इसे स्थगित करता हूं।

विवरण

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 14 नवम्बर, 1973 को दिन के लगभग 12 बजे श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर संसद सदस्य क नतृत्व मे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लगभग एक सौ अनुयायी पश्चिम बंगाल में कुछ राजनतिक दलों के आवाहन पर सिविल अवज्ञा आन्दोलन के एक भाग के रूप में बर्दवान न्यायालय के प्रांगण में आ गये। पुलिस ने जुलूस को न्यायालय प्रांगण के प्रवेश द्वार पर रोक दिया क्योंकि वार्ड नं० iv को छोडकर सारे बर्दवान नगरपालिका क्षेत्र म दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू थी। अधिकांश प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्वक तितर बितर हो गये किन्तु शेष बचे प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से पुलिस को बताया कि वे निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के उद्देश्य से वहां जमा हुए है। परिणाम स्वरूप 20 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए थे और बर्दवान पुलिस थाने ले जाये गये और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन बर्दवान पुलिस थाने में मुकदमा नं० 26 दिनांक 14-11-1973 दायर किया गया।

2. श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर संसद सदस्य से जो पास ही उपस्थित थे पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट बर्दवान के कार्यालय में आकर अपनी शिकायत पेश करने के लिए बार बार अनुरोध किया था। उनको जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में ले जाने के लिए एक वाहन वहां रखा गया था। फिर भी श्री हाल्दर ने जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाने से इन्कार कर दिया और पास में खडे पुलिस वाहन में अपने साथियों सहित बल पूर्वक प्रवेश किया। उनसे बडी विनम्रता से कहा गया कि उन्हे गिरफ्तार नहीं किया गया है और उन्हें पुलिस वाहन से बाहर आ जाना चाहिये परन्तु उन्होंने पुलिस वाहन से उतरने से इनकार कर दिया भीड को तितर बितर करने तथा किसी अप्रिय स्थिति को रोकने की दृष्टि से प्रदर्शनकारियों को जो पहले ही पुलिस वाहन में चढ चुके थे बर्दवान नगरपालिका क्षेत्र से बाहर पहुंचाया गया। श्री हल्दर स्वेच्छा से उसी वाहन में बैठे रहे। एक जीप जो संसद सदस्य के लिए रखी गई थी वह भी पीछे पीछे गई। न्यायालय से 13 मील दूर गलसी बाजार में पहुंचने के बाद सभी प्रदर्शनकारी पुलिस वाहन से उतर गये। पुलिस दल के प्रभारी सब इन्स्पेक्टर ने श्री हल्दर से पुन: जीप में सवार होने का अनुरोध किया ताकि वे अपने घर अथवा जहां वे चाहे जा सकें श्री हल्दर ने जवाब दिया कि वे पुलिस जीप में जाने की अपेक्षा अपने साथियों के साथ रहना पसन्द करेंगे।

3. चुंकि श्री हल्दर को पुलिस द्वारा न तो गिरफ्तार किया गया था और न नजरबन्द किया गया था अत: घटना के सम्बन्ध में अध्यक्ष, लोक सभा को कोई सूचना नहीं भेजी गई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसू : यह गलत विवरण है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (औसग्राम) **:** मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह गलत है। क्या आप विश्वास करते है कि में स्वेच्छापूर्वक पुलिस की गाडी में प्रवेश करता (**व्यवधान**) में 23 नवम्बर को गया और उसी दिन सभा में अध्यक्ष महोदय से इसे नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को सोंपने का अनरोध किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह प्रश्न सभा मे 20 नवम्बर को आया। उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से कब उत्तर मिला ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : पश्चिम बंगाल सरकार से जो पहली जानकारी मिली वह 23 नवम्बर, 1973 के पत्र में दी गई है। कुछ स्पष्टीकरण थे, उन्हे 21 दिसम्बर को अन्तिम तार मिला जिसका हमने उत्तर दिया। सारी जानकारी एकत्रित करने के बाद यह वक्तव्य दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : 23 नवम्बर को क्या सूचना दी गई ?

श्री राम निवास मिर्धा : इसके साथ पश्चिम बंगाल सरकार के नाम से जिला मजिस्ट्रेट बर्दवान के पत्र की एक प्रति थी, उसी जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट की रपट भी उसमें थी जो पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई थी।

श्री ए च० एन० मुखर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : इसमें एक महीने से अधिक विलम्ब का यही कार्य है कि कुछ छिपाया जा रहा है। हम विशेषाधिकार समिति में ही इसका पता लगा सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यह महसूस करता हूं कि एक महीने का विलम्ब नहीं होना चाहिए।

जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि माननीय सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सरकार को बताना चाहिये कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है और मामले को समाप्त करना चाहिये था। इस पर एक महीना क्यों लगाया गया ?

इन प्रश्नों से कुछ संदेह उत्पन्न होता है और दो परस्पर विरोधी वक्तव्य भी है। श्री हाल्दर ने 20 नवम्बर को अध्यक्ष महोदय को दिये अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि "मैंने 14 नवम्बर को बर्दवान में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। मुझे पुलिस द्वारा लगभग 12 बजे मध्याह्न गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की गाडी में वहां से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर उतार दिया गया। मुझे वहां से वापिस आने में काफी कठिनाई हुई क्यों कि पुलिस न कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरी और सरकार ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया परन्तु वह जबरदस्ती पुलिस की गाडी में घुस गये। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिये कोई निर्णय करना कठिन है।

मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सोंपता हूं।

वीर सोनारवाला में हरिजन आन्दोलन

HARIJAN AGITATION IN VIR SONARWALA

श्री बूटा सिंह (रोपड) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 30 नवम्बर 1973 को श्री राम निवास मिर्धा ने वक्तव्य दिया जो दिल्ली में हरिजन संघर्ष समिति द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के बारे में था। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय वक्तव्य के परिणाम के बारे में सभा में प्रकाश डाले।

उपाध्यक्ष महोदय इसमें : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It has been said several times in the House that the Government should come forward with a statement regarding burning of Harijans. Will the hon. Minister not make a statement in this regard?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हरिजनों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा फिर भी यह सरकार हरिजनों का मित्र होने का दावा करती है ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : श्री चन्द्रम द्वारा जारी किये गये वक्तव्य के अनुसार आन्दोलन समाप्त हो गया है । यह वक्तव्य हरियाणा के मुख्य मंत्री के परामर्श के बाद दिया गया है जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि उनके द्वारा नियुक्त की जाने वाली तदर्थ समिति को उनकी मांगे भेज दी जायेगी।

जहां तक वीर सोनारवाला का सम्बन्ध है, हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कहा है कि सभी 151 निष्कासित हरिजन परिवारों को वीर सोनारवाला गांव में भूमि पर तब तक खेती करन दिया जायगा जब तक उन्हें स्थाई आधार पर कृषि योग्य भूमि दना संभव न हो।

काल-पात्र के साथ गाडे गये ऐतिहासिक दस्तावेजों के पाठ के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE TEXT OF THE HISTORICAL DOCUMENTS BURIED WITH THE TIME CAPSULE

उपाध्यक्ष महोदय अब हम विगत स्वाधीनता दिवस (15 अगस्त 1973) को लाल किले क निकट भूमि में गाडे गय काल पात्र के साथ रखे गये ऐतिहासिक दस्तावेज के पाठ के बार में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को लेंगे।

श्री सुधाकर पाण्डेय अब अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : नियम 193 के आधीन एक चर्चा मेरे नाम से भी है । वह कब प्रारंभ होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा की समाप्ति पर वह प्रारंभ होगा।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह प्रश्न इस सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार से सम्बन्ध रखता है । इस बारे में पत्रों और अतारांकित प्रश्नों के रूप में अनेक मांगे की गई है, परन्तु मन्त्री महोदय ने उसका पाठ अभी तक सदस्यों को नहीं बताया है । मन्त्री महोदय ने लोकहित के बजाय इसका तक यह दिया है कि चूंकि यह दस्तावेज भावी पीढियों के लिए सुरक्षित रखा गया है, अतः समकालिन जनता के लिए उसे प्रकाशित करना उचित नहीं है ।

मैं आपका और सदन के सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि अनेक व्यक्तियों को दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध की गई हैं। तामिलनाडु अभिलेखागार के आयुक्त श्री सी० बद्रीनाथ ने कहा है कि उन्होंन कालपात्र के साथ भूमि में दबाये गये दस्तावज का सावधानी से अध्ययन किया है और उसमें स्पष्ट त्रुटियों और तथ्य सम्बन्धी असंगतियों को पाया है ।

मद्रास के एक क्रिश्चियन कालेज के अनेक व्यक्तियों को इसकी प्रतियां उपलब्ध की गई ह। श्री सी० बद्रीनाथ को एक प्रोफेसर ने जिस पत्र के साथ इस दस्तावेज को भेजा है। उस पत्र की फोटोस्टेट प्रति मेरे पास है उन दस्तावेज की प्रति भी मेरे पास है और यहां सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं दी जाती है ।

17 सितम्बर, 1973 को 'हिन्दु' में प्रकाशित अपने पत्र में उस प्रोफेसर ने कहा है कि कालपात्र पछले 25 वर्षों के राष्ट्रीय विकास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का (लगभग 10 हजार शब्दों में)

[श्री सेझियान]

संक्षिप्त ब्यौरा था। अगर यह गुप्त था तो वह प्रोफेसर उस कागज को किस प्रकार देख सकता है। संसद सदस्यों को इस सुविधा से वंचित क्यों किया जा रहा है ? इसे गोपनीय क्यों रखा जा रहा है ? मैं सभा पटल पर पत्र और उस दस्तावेज की प्राधिकृत प्रतिलिपि सभा पटल पर रखता हूं।*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन्हें मुझे दे दें। मै इनकी जांच करने के बाद अनुमति देने पर विचार करूंगा। मन्त्री महोदय उत्तर देते समय इन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालीयर) : इस पर उपयोगी चर्चा करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें उस दस्तावेज की जानकारी हो। इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्री सेझियान को अध्यक्ष महोदय ने उक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी है और हमें भी उस आधार पर उसकी प्रति प्राप्त हो गई है।

इसे गोपनीय रखकर समकालिन इतिहास के प्रति एक षडयंत्र रचा जा रहा है। अगर सरकार कालपात्र के दस्तावेज को प्रकाशित नहीं करती, तो वे लोग जो समकालिन इतिहास के भाग है, इस दस्तावेज को उखाड फेंकेंगे और 2500 साल बाद के लिए सुरक्षित नहीं रहने देंगे (**व्यवधान**)।

श्री च० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : हम इस बारे में पहले ही आंशिक रूप से चर्चा कर चुके है। सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज को सही मानकर बिना किसी शोर शराबे के हम चर्चा जारी रख सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The honourable Minister should clearly indicate whether the document laid on the Table of the House is correct or not ? If not, he should lay on the Table a correct copy. If he does not reply to this point, it is the insult the House.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : पहले दो अवसरों पर भी काल पात्र भूमि में दबाये गये है, परन्तु उनका ब्यौरा सभी को उपलब्ध रहा। अब पहली बार इसे क्यों गोपनीय रखा जा रहा है ? प्रो० नूरूल हसन ने मूल दस्तावेज में अपने हाथ से कुछ संशोधन किये हैं, जिसकी जिम्मेदारी उनकी ही है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : पहला प्रश्न तो उस दस्तावेज की प्रामाणिकता के बारे में है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मुख्य प्रश्न तो यह है कि जिस दस्तावेज को हजारों साल बाद की जनता के लिए सुरक्षित रखा गया है, क्या उसे सभा पटल पर रखकर समकालीन जनता को उसकी जानकारी देकर उसका महत्व समाप्त नहीं हो जायेगा। इस लिए मैं नहीं चाहता कि सरकार इसे सभा पटल पर रखे।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह दस्तावेज 5,000 साल बाद की जनता के लिए सुरक्षित रखा गया है, इस लिए यह अत्यावश्यक है कि उन्हें सही इतिहास की जानकारी हो। दूसर अगर ढाई घण्टे की बहस के बाद मन्त्री महोदय अपनी चुकी को तोडकर यह

*अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किये जाने के कारण कागजात/दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the paper/ document was not treated as paper Laid on the table.

कहे कि जो दस्तावेज सभा पटल पर रखा गया है, वह सही नहीं है, फिर इस बहस का महत्व रहेगा? इस लिए मन्त्री महोदय कहे कि दस्तावेज सही है अथवा नहीं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री सेझियान ने 7 दिसम्बर को इस पर चर्चा शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने प्राधिकृत दस्तावज को सभा पटल पर रखा और वह हम उपलब्ध है। अब मन्त्री महोदय इसका खण्डन करे कि यह सही नहीं है अथवा प्राधिकृत मूल प्रति को सभा पटल पर रखें।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : श्री सेझियान ने सभा पटल पर जो दस्तावेज रखा है, वह काल पात्र के साथ नहीं रखा गया है और वह उससे भिन्न है। दूसरे, श्री श्यामनन्दन मिश्र ने यह कहा कि मैंने किसी ड्राफ्ट अथवा दस्तावेज में संशोधन किये। यह कथन भी पूर्णतः गलत है। **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अब वह मूल दस्तावेज को सभा पटल पर रखे। अब यह और भी गम्भीर बात हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ वक्तव्य और उनका खण्डन करने वाले वक्तव्य दिये गये है। इस लिए इस मामले पर चर्चा करने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। **(व्यवधान)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I rise on a point of order. The honourable Minister has said that the document buried with the Time Capsule is different from what has been placed on the table of the House by Shri Sezhiyan. I would like to have your ruling about this matter. The Minister is not taking the plea that it is not in the public interest to disclose the contents of the documents, but only because they are meant for the posterity. It is the question of our rights. (*Intrruptions*).

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : एक अभूतपर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्री सेझियान कहते है कि उनका दस्तावेज प्रामाणिक है और मन्त्री महोदय इसका खण्डन करते है। इन दोनों में से एक न एक सदन को गुमराह कर रहा है। इस लिए यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री सेझियान : मैं विशेषाधिकार समिति अथवा संसद द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के समक्ष पेश होने के लिए तैयार हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मन्त्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का स्पष्ट मामला बनता है। 7 दिसम्बर को जब यह दस्तावेज मन्त्री महोदय की उपस्थिति मे सभा पटल पर रखा गया, तब मन्त्री महोदय ने इसका विरोध नहीं किया। यह बाद में सोची हुइ बात है। मैं मंत्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न मौखिक रुप से उठाने की अनुमति चाहता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सदन के समक्ष यह प्रश्न है कि श्री सेझियान द्वारा प्रमाणीकृत जो दस्तावेज सभा पटल पर रखा गया है, वह सही है अथवा नहीं। ऐसे दो पूर्वा उदाहरण है। न्यू एशियाटिक एण्ड जूपिटर एन्श्योरेन्स की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अध्यक्ष महोदय ने सभा पटल पर रखने की हमें अनुमति दे दी थी। दूसरा मामला वह था जब श्री कामथ को श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट पेश की थी। और उसे श्री कामथ द्वारा प्रमाणीकृत कर दिया गया था ...

उपाध्यक्ष महोदय : यह संगत कहां है?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपको बाताता हूं कि यह पूर्व उदाहरण है—माननीय मंत्री द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के पश्चात कि क्या यह सही है अथवा नहीं। यहां मंत्री महोदय ने दस्तावेज के सही होने की बात से इंकार किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमे 5000 वर्ष के पश्चात इस पर चर्चा करनी चाहिये—मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है— किन्तु यहां हम किस मामले पर चर्चा कर रहे है ? . . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मुकर्जी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मुझे यह बात बहुत ही सरल दिखायी देती है यद्यपि यह दुखद् बात है । श्री सेझियान द्वारा रखे गये दस्तावेज की प्रमाणिकता का खंडन किया है । किन्तु यह बात बडी ही दुखद् है कि मंत्री महोदय ने इस दस्तावेज की प्रमाणिकता का खंडन तो कर रहे है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह मूल दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के लिये तैयार नही है। मैं अपने माननीय मित्र तथा माननीय मंत्री महोदय दोनों का विश्वास करता हूं।

आप जांच कराके इस बात का पता लगा सकते है। मुझे इस बात में विश्वास नहीं है कि विशषाधिकार समिति इस मामले पर विचार करे, क्यों कि उन्होंने किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन नही किया है । किन्तु अध्यक्ष महोदय को इस बात की सचाई का किसी प्रकार से पता लगाना चाहिये । क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने इसकी प्रमाणिकता का खंडन किया है और माननीय सदस्य अपनी बात पर अडे हुये है । यदि ऐसी बात है, तो चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा ...... **(व्यवधान)** ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : जब तक मंत्री महोदय मूल दस्तावेज को पेश करके इसकी प्रमाणिकता का खण्डन नहीं कर लेते, मैं सभा से इस पर चर्चा करने के लिये कहूंगा। **(व्यवधान)** 7 दिसम्बर को मैंने सभा पटल पर एक दस्तावेज रखा था ...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह बात समझ ली है ।

श्री सेझियान : जब तक मंत्री महोदय दस्तावेज को पेश करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिये । हमें अपने दस्तावज को सही मान कर अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिये ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : इस परिस्थिति में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सभा को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दी जाये और इस पर चर्चा आगामी सत्र में की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये । मुझे स्थिति को स्पष्ट करने दीजिये ।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या मैं एक बात कह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप की बात बाद म सुनुंगा। मुझे स्थिति को स्पष्ट करने दीजिये पहला प्रश्न यह है कि क्या हम इस चर्चा को जारी रख सकते है । मेरे विचार में यह बहुत ही स्पष्ट बात है कि हमने आंशिक रूप से इस पर चर्चा की है अब तो इसे जारी रखने की बात है । दूसरी बात यह कही गयी है कि किस दस्तावेज के आधार पर हम इस चर्चा को जारी रख सकत है ?

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री सेझियान ने स्वयं अपने द्वारा प्रमाणीकृत एक दस्तावेज को सभा पटल पर रखा है और मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यह दस्तावेज सही और सच्चा नहीं है ...

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस बात का निर्णय हमें स्वयं करना है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इसका निर्णय हमने करना है, उन्होंने नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है । ये सभी दस्तावेज सभी की कार्यवाही वृतान्त में है । अब एक दस्तावेज पेश किया गया है मैं यह नहीं जानता कि दूसरे दस्तावेज के न होने से ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालीयर) : आप उन्हें इसे प्रस्तुत करने के लिये क्यों नहीं कह सकते **(व्यवधान)** :

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हे विवश नहीं कर सकता **(व्यवधान)**। कृपया शांत रहिये और मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये। एक दस्तावेज रखा है और दूसरे दस्तावेज़ के न होने से स्पष्ट रूप से सदस्य अपने निष्कर्ष निकाल सकते है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह साक्ष्य का कानून भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह दस्तावेज़ वास्तविक है अथवा नहीं। अब श्री वाजपेयी द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्न के संबंध में ...

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : यह एक मिथ्या आरोप है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्न के संबंध में . . . **(व्यवधान)** चाहे यह, मिथ्या ही हो । अब यह सभी को कार्यवाही वृतात शामिल हो चुका है। **(व्यवधान)** श्री सेझियान द्वारा इस दस्तावेज को सही दस्तावेज होने का दावा किया गया है, किन्तु अन्य सदस्य के अनुसार यह दस्तावेज मिथ्या है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपका कहना निराधार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी द्वारा कही गयी बात के संबंध में क्या मंत्री महोदय सभा पटल पर किसी दस्तावेज़ को रखने से इंकार कर सकते है और किस तर्क के आधार पर वह ऐसा कर सकते है, मुझे नियमों को देखना होगा। हम संबंध इसमें नियम बिलकुल स्पष्ट है । यद्यपि मंत्री महोदय ने किसी दस्तावेज का उल्लेख किया हो, तो भी वह यह कह कर बच सकते है कि ऐसा करना लोक हित में नही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंन ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि उन्होने इसका उल्लेख कभी नहीं किया। नियमों के अनुसार मंत्री के लिये तब भी संगत दस्तावेज सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं है जब कि उन्होने शब्दों मे ऐसे अथवा सरकारी दस्तावेज अपने शब्दों में सारांश दिया हो। उन्होने ऐसा भी नहीं किया है । इस लिये यह मामले में यह बात लाग नही होती।

[उपाध्यक्ष महोदय]

नियम 370 के अनुसार भी ऐसा करना आवश्यक नहीं है, क्यों कि उन्होने कभी भी कोई विचार व्यक्त नहीं किया है ।

श्री सेझियान : मंत्री महोदय ने 19-11-73 के अतारांकित प्रश्न 1179 के उत्तर में यह बताया है कि इस दस्तावेज को तैयार करने के लिये भारतीय अनुसंधान परिषद जिम्मेदार थी और इसे भावी पीढी के लिए इसलिए उनके अनुसार इसे सभा पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

नियम 370 के अनुसार यदि मंत्री महोदय किसी प्रश्न के उत्तर में अथवा चर्चा के दौरान किसी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा दिय मय परामर्श अथवा मत को व्यक्त करता है, तो उन्हें सामान्य रूप से उस संगत दस्तावेज अथवा उसके सारांश को सभा पटल पर रखेगा जिसमें वह मत, परामर्श शामिल होंग।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे स्पष्ट करने दीजिये । अनेक नियमों का उल्लेख किया गया है और मै भ्रम में पड गया हूं (**व्यवधान**) मैं आप को बोलने के लिये कहूंगा। किन्तु मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये । मेरे विचार में नियम 370 यहां लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्होंनें कोई परामर्श अथवा मत व्यक्त नहीं किया है । नियमों में ऐसी कोई बात नही है जिससे पीठासीन अधिकारी द्वारा मंत्री महोदय को वक्तव्य सभा पटल पर रखने के लिये विवश किया जा सके। यदि मंत्रि महोदय अपनी इच्छा से किसी दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के लिये पीठासीन अधिकारी से अनुमति मांगता है, तो अध्यक्ष महोदय हमें रखने की अनुमति दे देते है;

श्री शामनन्दन मिश्र : मैंने अपना लिखित प्रस्ताव भेजा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार प्रस्ताव को पेश करने का यह उचित ढंग नहीं है (**व्यवधान**)

श्री शमीम क्या कृपा करके आप हमें स्पष्ट करेंगे ?

अन्यथा कृपया शान्त रहिये । नियमों के अनुसार विशेषाधिकार की सूचना इस प्रकार नहीं दी जा सकती और इस प्रकार निर्णय नहीं किया जा सकता। इसके लिये उचित सूचना दी जानी चाहिये और मुझे इस मामले पर विचार करने का समय मिलना चाहिये । मैं इस को तर्क स्वीकार नहीं कर सकता।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to know your ruling about the closure moved by under rule 362 by Hon'ble Shri D. N. Tiwari....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है ।

Shri Shankar Dayal Singh: The House should be consulted whether the proceeding of the House should continue or it should adjourn under rule No. 362. Second ruling is in respect of rule 301. According to it when Mr. Speaker has been standing the members should not stand up.

उपाध्यक्ष महोदय : इससे मै सहमत हूं।

Shri Shankar Dayal Singh : We sit quietly, but they violate the rules. When you are standing if they stand and speak, their observation should not go on record.

मै नियम 361 और 362 के संबंध में आप का निर्णय चाहता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि उन्होंने नियम 362 की बात उठायी है ...

श्री मधु लिमये (बांका) : यह लागू नहीं होता।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह वाद विवाद नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी यह है, उन्होंने नियम 362 की बात उठायी है। नियम 362 मे कहा गया है :—

"प्रस्ताव के पेश करने के पश्चात किसी समय कोई सदस्य . . ."

श्री मधु लिमये : प्रस्ताव कहां है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।

श्री मधु लिमये : यह केवल चर्चा करने के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे है और अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुचे हैं और यदि कहा जाये कि 'सभी कुछ रोक दो' तों मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री डी० एल० तिवारी : मैंने केवल यह कहा है कि इसे आगामी सत्र पर विचार किया जा सकता है। मन तो यह कहा है 'that this motion should not be discussed today and it should be taken during the next session.

उपाध्यक्ष महोदय : वह नियम 362 का उल्लेख कर रहे थे। यही कारण है कि मैंने उन्हे उत्तर दिया है।

श्री समर गुह : आप के कथन के आधार पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप ने कहा है कि माननीय मंत्री महोदय श्री सेझियान द्वारा पेश किये गये दस्तावेज की प्रामाणिकता से इंकार किया है और कोई अन्य प्रमाणित वक्तव्य न होने के कारण से श्री सेझियान द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य को अवश्य ही माना जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा है। यह मेरा मत नहीं है। मैंने तो यह कहा था कि लोग अनुमान लगा सकते है।

श्री समर गुह : अब आप के शब्द "अनुमान" और "वास्तविकता" अन्तर्ग्रस्त है। कोई भी वास्तविकता अनुमानित नहीं हो सकती।

यह एक गम्भीर बात है। यदि यह वास्तविक दस्तावेज है, तो सभा को इसे स्वीकार करना ही होगा। किन्तु अब हम देखते है कि माननीय मंत्री महोदय ने इसे चुनौती दी है और कहा है कि यह एक वास्तविक दस्तावेज नहीं है। इस तथ्य को देखते हुये श्री एच० एन० मुकर्जी ने एक बहुत ही उचित सुझाव दिया है कि चुंकि मंत्री महोदय ने इस दस्तावेज को चुनौती दी है, तो अध्यक्ष महोदय अधिकार एवं दायित्व तथा जिम्मेदारी हो जाती है कि वह तथ्यों का पता लगाये और यदि आवश्यक हो, तो वह एक समिति को नियुक्त कर जो यह पता लगाये कि क्या यह दस्तावेज वास्तविक है अथवा क्या माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया खंडन ही वास्तविक है। उस के आधार पर मेरे माननीय मित्र श्री सझियान अथवा माननीय मंत्री महोदय के विरुद्ध विशषाधिकार का प्रश्न ही नहीं है।

श्री समर गुह]

एक बात और है कि उसका संबंध मेरे मित्र श्री सेझियान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से है अथवा उस दस्तावेज से, जो मंत्री महोदय के द्वारा गुप्त रूप कालापत्र में दफनाया गया है। भारतीय स्वतंत्रता का 25 वर्ष का इतिहास इस सभा से संबंधित है। यह 25 वर्ष का इतिहास बाहर नहीं बना है (व्यवधान) 25 वर्षो से यह सभा इतिहास बना रही है और हम इस में हिस्सा ले रहे है (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात क्या है ?

श्री समर गुह : यह बिल्कुल सुसंगत बात है। यह सभा उस इतिहास का ही भाग और इसकी कार्यवाही वृतान्त इस इतिहास का ही भाग है। यह संसद उस इतिहास का ही भाग है (व्यवधान)। अतः इस संबंध मे मंत्री महोदय ने इस सभा का अवमान किया है। इसलिये मैं मंत्री महोदय के विरुद्ध श्री मिश्र के विशेषाधिकार प्रस्ताव का समर्थन करता हूं (व्यवधान)।

श्री एच० एन० मुकर्जी : आज चर्चा नहीं की जा सकती। इसे किसी अन्य दिन के स्थगित करना पडेगा। अध्यक्ष महोदय अथवा किसी अन्य तंत्र के द्वारा पहले तथ्यों का पता लगाना होगा और तब हम पुनः आगामी सत्र मै इस पर विचार करना होगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want your ru'ing regarding the reply on the question read by Shri Sezhiyan.

If the document authenticated by Shri Sezhiyan is a forgery, it is a grave matter and indues the prestige and privileges of this House. I would like to suggest that a copy of the documet in question may be handed over to the hon'ble Speaker. He may call both the hon'ble Members and go into the facts and the conclusion drawn by the Hon'ble Speaker may be placed before the House. Thereafter if it is proved that our information is based on facts then Shri S. N. Mishra may be allowed to move Privileges Motion.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को उत्तर सरकार को देना है कि किस के प्राधिकारसे यह दस्तावेज तैयार किया गया और दबाया गया।

श्री समर गुह (कंटाई) : मै पूछना चाहता हुं कि क्या 25 वर्ष के इस इतिहास में संसद के कार्य को सम्मिलित किया गया है या नहीं। यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध मे संसद की मंजूरी ली गई है ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जब इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया था तब मंत्री महोदय ने उसका खंडन नही किया तो क्या अब वह ऐसी कर सकते है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं इस पर चर्चा के विरुद्ध नही हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि यह बैठक कब तक चलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : आज सत्र का अन्तिम दिन है अतः यह कहना कठिन है कि कितने समय तक बैठक चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण मामले सभा के विचाराधीन है और सभा ही निर्णय कर सकती है कि बैठक कितने समय तक चलेगी।

श्री समर गुह ने एक सामान्य प्रश्न पूछा है कि क्या संसद को गत 25 वर्ष के इतिहास का अंग बनाया गया है या नहीं। इतने बडे तथ्य की अवहेलना कौन कर सकता है?

श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर सरकार ही दे सकती है। इसमें हमें क्या कह सकते है ?

श्री सेझियान द्वारा प्रमाणित एक दस्तावेज सभा पटल पर रखा गया है और परिचालित भी किया गया है। मंत्री महोदय ने इसका खण्डन किया है। अब प्रश्न यह है कि यदि यह दस्तावेज झूठा है तो श्री सेजियान ने सभा को गुमराह किया है। परन्तु इस बात को कैसे सिद्ध किया जाये कि यह दस्तावेज झूठा है (व्यवधान)।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार इस दस्तावेज को गलत सिद्ध करने की जिम्मेदारी मंत्री महोदय की है।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Shri Sezhian has raised this issue in the House. According to him the facts published in the historic documents are false. We do not agree with this. The hon'ble Minister has termed the charges as baseless. I want to know the basis of information furnished by Shri Sezhian. The facts contained in the aforesaid document should have been made public after a period of five thousand years. Who are they to challenge these facts. I move that this discussion on this issue may be adjourned under rule 340.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकर दयाल सिंह ने नियम 340 का उल्लेख किया है। आप इस सम्बन्ध में नियम 341 भी पढ़े। यह उससे सम्बन्धित है।

श्री शंकर दयाल सिंह : आपका कहना ठीक है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : काल पत्र से सम्बन्धित मेरा प्रश्न राजनैतिक नहीं है। उससे देश के गत 25 वर्ष के इतिहास का बोध होता है। अत: कालपात्र में सच्चा इतिहास होना चाहिये। मंत्री महोदय ने मेरे द्वारा प्रस्तुत अधिकृत दस्तावेजों का खंडन किया। कुछ मामलों में जब किसी दस्तावेज को सरकारी अधिकारियों द्वारा बहुत गोपनीय समझा जाता है, तो ऐसे मामलों में समिति के अध्यक्ष निर्णय लेते है। इस मामले में यदि मंत्री महोदय दस्तावेज को सभा पटल पर रखना उचित नहीं समझते तो वे उक्त दस्तावेज को अध्यक्ष महोदय को दिखा सकते है।

अध्यक्ष महोदय के पास मेरे द्वारा दिया गया दस्तावेज है। वह उससे इसे मिला सकते है। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया निर्णय मुझे स्वीकार होगा। यदि कोई माननीय सदस्य मुझ पर जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाते है, तो ऐसा सिद्ध होने पर मैं सभा जो उचित सजा दे उसे भुगतने के लिये तैयार हूं (अन्तर्बाधाएं)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहूंगा कि सभा इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : श्री सेझियान द्वारा दिया गया दस्तावेज काल पत्र में रखे गये दस्तावेज से भिन्न है **(अन्तर्बाधाएं)**। मैं इस सूझाव को स्वीकार करता हूं कि इस मामले में अध्यक्ष महोदय निर्णय लें **(अन्तर्बाधाएं)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमे इस मामले को यहीं छोडकर अन्य विषय पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : काल पत्र में रखे गये दस्तावेज की सत्यता के बारे में यदि कोई हल निकाला जाता है तो हमे प्रसन्नता होगी। सदन को इस मामले में सत्यता जानने का अधिकार है । इस मामले में सभापति महोदय बहुत सहायक हो सकते है । मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हम इस असम्माननीय दस्तावेज को कल निकालने जा रहे हैं । यह इतिहास के प्रति अपराध है । हम इस बारे में तथ्य जनता को बताना चाहते है । हम यह बताना चाहते है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वे बेईमान हैं। यह गलती नहीं है बल्कि ऐसा जानबूझकर किया गया है । **(अन्तर्बाधाएं)** कृपया बतायें कि सच्चाई का पता लगाने का क्या तरीका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस मामले को हल करने के लिये कोई तरीका निकालना चाहिये । अब हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमन्ड हार्बर) : इस विषय पर अगले सत्र में चर्चा की जानी चाहिये। मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा और अधिक समय बैठना नहीं चाहती और सब इस बात से सहमत है, तो हम सभा स्थगित कर सकते है । सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

GIPN-S3--36 LSS(ND)/73—28-3-74—490

P.L.S. 48 XXXIV. 31. 73 (N)
490

©1973 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422006 द्वारा मुद्रित ।

© 1973 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422006.